वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

भाग–1

(स्थानीय निधि लेखा परीक्षा)

वर्ष

2007–2008

प्रतिवेदक : निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं सह-स्टेट इण्टरनल आडिटर, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

विषय सूची

भाग-1

(स्थानीय निधि लेखा परीक्षा)

(1) प्रशासनिक खण्ड

क्र०सं०	विवरण	कण्डिका	पृष्ठ संख्या
1-	विभागीय प्राधिकार के श्रोत	2.1	1-2
2-	सम्परीक्षाधीन लेखे	3.1-3.2	2
3-	सम्परीक्षा के सोपान तथा तत्सम्बन्धी कार्य	4.1-4.2	2-4
4-	प्रभागीय आय-व्ययक	5.1 से 5.3	4
5-	प्रभागीय आय एवं व्यय का समन्वय	6.1-6.2	4
6-	प्रभाग की प्रशासनिक व्यवस्था	7.1 से 7.4	5-6
7-	प्रभाग की जनशक्ति	8	6
8-	स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा वर्ष में सम्पादित सम्परीक्षा कार्य	9	6-7
9-	सम्परीक्षा में उद्घाटित अनियमिततायें	10.1.1	7
10-	विशेष सम्परीक्षायें	10.1.2	7
11-	सम्परीक्षा शुल्क की स्थिति	10.2.1-2.2	7-8
12-	जिला पंचायतें, स्थानीय निकायों, जल संस्थानों के पेंशन एवं आनुतोषिक प्रकरणों का निस्तारण	13	9
13-	निष्कर्ष	--	9
(2)	**कार्यकारी खण्ड**	-	10
(3)	**परिशिष्ट,क,ख,ग,घ,ड.,च,छ व ज**	-	35-44

1- प्रशासनिक खण्ड

भारतीय संघ के अधीन 09 नवम्बर, 2000 से उत्तरांचल राज्य का गठन हुआ। उत्तरांचल शासन ने वित्त विभाग का संगठनात्मक ढांचे का अनुमोदन करते हुए वित्त विभाग की राजाज्ञा संख्या 5098/वि0स0शा0/2001 दिनांक 19 जून, 2001 द्वारा विभाग के ढांचे में स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग को निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल आडिटर, उत्तराचंल में सम्मिलित कर लिया गया है। पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश के विधान उत्तरांचल राज्य पर भी इन्हें उपान्तरित किये जाने तक लागू है।

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम 1984 की धारा -8(3) के अन्तर्गत स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा पर आधारित वर्ष 2006-07 का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन राज्य के विधान सभा पटल पर रखा जा चुका है। स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा सम्परीक्षित लेखाओं पर आधारित वर्ष 2007-08 का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन विधान सभा पटल पर रखने हेतु प्रस्तुत है।

2- विभागीय प्राधिकार के स्रोत :-

2.1 प्रदेशान्तर्गत अवस्थित स्थानीय निकायों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं के संगत नियमों एवं तदधीन निर्मित नियमावलियों एवं परिनियमावलियों आदि में यथास्थान शासन द्वारा इस बात की व्यवस्था की गयी है कि उक्त संस्थाओं की निधियाँ **''स्थानीय निधि'' (लोकल फण्ड)** के नाम से जानी जायेगी और उनके लेखाओं की लेखा परीक्षा निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल आडिटर, उत्तराखण्ड के स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा की जायेगी। संहत रुप से सभी स्थानीय निकायों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं की लेखा परीक्षा अनिवार्य रुप से इस विभाग के स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा किये जाने की दृष्टि से वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड -5 भाग-1 के पैरा 369 ''के'' में यह प्राविधान किया गया है कि निदेशक द्वारा राज्य सरकार से अनुदान पाने वाले सभी स्थानीय निकायों/संस्थाओं के लेखाओं की सम्परीक्षा करके अनुदानों के उपभोग से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारुप पर निर्गत किया जायेगा।

इस नियम में यह भी व्यवस्था है कि भारत सरकार की ओर से इन स्थानीय निकायों/संस्थाओं के कार्यकलाप पर दृष्टि रखने के लिए निदेशक द्वारा वर्षान्त में संहत रुप से वर्षान्तर्गत स्वीकृत अनुदानों के उपभोग की स्थिति से महालेखाकार को सूचित किया जायेगा, जिससे शासन द्वारा प्रदेश के लोक सेवा निधि से स्वीकृत किये गये अनुदानों के सम्बन्ध में

स्थिति स्पष्ट हो सके कि सम्बन्धित निकायों/संस्थाओं द्वारा इन अनुदानों का उपभोग उन्ही प्रयोजनों के निमित्त किया गया है अथवा नहीं, जिनके लिये वे स्वीकृत किये गये थे तथा उन संगत नियमों का पालन किया गया है अथवा नहीं, जिनके अन्तर्गत उन्हें उक्त धनराशियों का उपभोग करना था। शर्तो एवं प्रतिबन्धों के उल्लंघन की स्थिति से प्रतिवेदन में यथास्थान उल्लेख किया गया है।

2.2 उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा नियम 1984 (उत्तर प्रदेश के अधिनियम संख्या 12 सन् 1984) जोकि दिनांक 30 अप्रैल, 1984 से प्रवृत्त हुआ तथा जो नवसृजित उत्तरांचल राज्य में भी समान रुप से प्रभावी है, की धारा-4(2) के अन्तर्गत विधान मण्डल ने इस विभाग को यह शक्ति भी प्रदान की है कि ऐसे स्थानीय प्राधिकारी के लेखाओं की परीक्षा पूर्णतया ऐसे किसी अधिनियम में जिसके द्वारा या अधीन स्थानीय प्राधिकारी का गठन किया गया है, उसके अधीन बनाये गये किसी नियम में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के दौरान या अधीन उपबन्धित रीति से की जायेगी।

2.3 उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम 1984 में प्रादेशिक विधान मण्डल द्वारा उपर्युक्त स्पष्ट आदेश पारित करने के उपरान्त अब स्थिति यह है कि प्रदेशान्तर्गत स्थित सभी स्थानीय निकायों एवं अनुदानित संस्थाओं की सम्परीक्षा अनिवार्यतः निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल आडिटर, उत्तराखण्ड के स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा की जानी है।

3- सम्परीक्षाधीन लेखे -

3.1 वर्ष में 2007-08 में सम्परीक्षाधीन संस्थाओं के लेखाओं की संख्या 949 थी। उप सम्परीक्षा से सम्बन्धित 933 संस्थाओं के विवरण संलग्न **परिशिष्ट ''क'' भाग-1** में दिये गये हैं। शेष सम्वती सम्परीक्षा एवं शतप्रतिशत लेखा परीक्षा से सम्बन्धित 16 संस्थाओं की सूची **परिशिष्ट ''क'' भाग-2** के रुप में संलग्न है।

3.2 सम्परीक्षाधीन प्रमुख स्थानीय निकायों तथा संस्थाओं के संगत अधिनियमों आदि जिसके आधार पर सम्परीक्षा की गयी है, की सूची **परिशिष्ट ''ख''** में दी गई है।

4- सम्परीक्षा के सोपान तथा तत्सम्बन्धी कार्य : -

4.1 शासन द्वारा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग को प्रदेश की स्थानीय निकायों एवं स्वायतशासी संस्थाओं को स्वीकृत किये गये वित्तीय अनुदानों एवं ऋणों आदि का उपभोग सुनिश्चित करने के लिए इन स्थानीय निकायों एवं संस्थाओं की सकल आय एवं व्यय की

सम्परीक्षा का दायित्व दिया गया है जिससे सम्परीक्षा के माध्यम से शासन एवं विधान मण्डल को यह ज्ञात होता रहे कि इन संस्थाओं की स्थापना सम्बन्धी विशिष्ट अधिनियमों में अपेक्षित जन आकांक्षाओं की पूर्ति इनके द्वारा की जा रही है अथवा नहीं। अतः इस सन्दर्भ में सम्परीक्षा का कार्य मात्र लेखा परीक्षा न रहकर संस्था के सम्बन्ध में वित्तीय अनुशासन से जुडे सभी पहलुओं की समीक्षा का एक गुरुत्तर दायित्व भी हो जाता है।

4.2 स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग के कार्यकलाप निम्नवत् हैं :-

- 1- सम्परीक्षित स्थानीय निकायों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, निगमित एवं अनिगमित निकायों, विश्वविद्यालयों, सहायता प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थाओं एवं प्रशिक्षण संस्थाओं, महाविद्यालयों, अन्य शिक्षण संस्थाओं एवं शासन द्वारा सौंपे गये अन्य शासकीय/अशासकीय संगठनों आदि के विविध लेखों की नियमित सम्परीक्षा करना एवं परिणाम से संस्थाओं तथा शासन को सूचित करना।
- 2- उपर्युक्त संस्थाओं का वित्तीय मार्ग दर्शन करना।
- 3- उपर्युक्त संस्थाओं द्वारा सन्दर्भित प्रकरणों पर अभिमत देना।
- 4- सम्परीक्षा के उपरान्त यथा आवश्यक अनुदानों के उपभोग से सम्बन्धित उपभोग प्रमाण पत्र निर्गत करना।
- 5- नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतों, जल संस्थानों, जिला पंचायतों, बद्रीनाथ-केदारनाथ मन्दिर समिति के सेवा निवृत्त कर्मचारियों को देय पेंशन एवं उपादान की पुष्टि एवं संस्तुति करना।
- 6- महालेखाकार को उपर्युक्त संस्थाओं को स्वीकृत अनुदानों के उपभोग के सम्बन्ध में संहत आख्या प्रस्तुत करना।
- 7- नगर पालिका परिषदों, जिला पंचायतों, नगर निगम, विकास प्राधिकरणों एवं जल संस्थानों के लेखाकार परीक्षा का आयोजन करना।
- 8- विभाग के नवनियुक्त लेखा परीक्षकों एवं जिला सम्परीक्षा अधिकारियों को आधारभूत प्रशिक्षण तथा विभागीय अधिकारियों एवं लेखा परीक्षा कर्मियों को अल्पकालिक प्रशिक्षण देना।
- 9- सेवारत विभागीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों को मार्गदर्शन एवं उन्हें सम्परीक्षा से सम्बन्धित अद्यतन शासकीय आदेशों से युक्त करने के लिये उनका प्रत्यास्मरण प्रशिक्षण आयोजित करना।
- 10- स्थानीय निकाय के लेखा कर्मियों को आवशयकतानुसार प्रशिक्षण देना।
- 11 विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों एवं विशिष्ट क्षेत्रों में निष्णात् गणमान्य व्यक्तियों की संगोष्ठयाँ आयोजित करना।

- 12- धर्मादा सन्दान न्यासों के निधियों को विनियोजित करने तथा उन पर प्राप्त ब्याज को प्रादेशिक एवं भारत सरकार के न्यासों को संवितरण करना।
- 13- प्रभागीय कार्यकलापों सहित संहत वार्षिक प्रतिवेदन विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करना।
- 14- सम्परीक्षाधीन लेखाओं पर नियमानुसार सम्परीक्षा शुल्क आरोपित करना तथा उनकी वसूली करना।
- 15- सम्परीक्षाधीन स्थानीय प्राधिकारियों के अधिनियम एवं परिनियमों के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत क्षति, कपट, दुरूपयोग आदि के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध अधिभार कार्यवाही करना।
- 16- उपर्युक्त स्थानीय निकायों/ संस्थाओं एवं शासन द्वारा सौंपे गये अन्य लेखाओं की आवश्यकतानुसार विशेष सम्परीक्षा सम्पादित करना।
- 17- शासन द्वारा सौंपे गये अन्य कार्यों पर शासन को आख्या प्रस्तुत करना।

5- <u>प्रभागीय आय-व्ययक :-</u>

5.1 यद्यपि स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा स्थानीय निकायों स्वायतशासी संस्थाओं व अन्य निगमित एवं अनिगमित संस्थाओं आदि की सम्परीक्षा की जाती है, यह प्रभाग पूर्णतया उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के अधीन है।

5.2 इस प्रभाग की समस्त प्राप्तियाँ प्रादेशिक राजकोष में जमा होती हैं तथा विधान मण्डल द्वारा स्वीकृत प्रादेशिक आय-व्ययक के माध्यम से राज्य निधि से विभागीय व्यय हेतु धन उपलब्ध कराया जाता है।

5.3 लेखा परीक्षा शुल्क विभागीय आय का मुख्य स्रोत है। सम्परीक्षा शुल्क का आरोपण शासन द्वारा निधारित दरों पर किया जाता है, जो सम्परीक्षित संस्था द्वारा सीधे राजकोष में जमा किया जाता है। वर्तमान में निर्धारित सम्परीक्षा शुल्क की दरें **परिशिष्ट ''ग''** उत्तराखण्ड राज्य में लागू है।

<u>6- विभागीय आय एवं व्यय का समन्वय :-</u> वित्तीय वर्ष 2007-08 में विभागीय व्यय एवं इस वर्ष में आरोपित सम्परीक्षा शुल्क की स्थिति निम्नवत् है :-

क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	व्यय (रुपये	आरोपित सम्प० शुल्क (रु०)
1-	2007-08	1,34,67,417.00	3,03,76,290.00

6.2 स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा कृत कार्य सेवा प्रकृति (सर्विस नेचर) के हैं जिन पर होने वाले व्यय की तुलना आरोपित शुल्क से नहीं की जा सकती है।

7.1- विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था :- उत्तरांचल शासन के वित्त विभाग के शा० सं० 5058/ वि०शा०स० /2001 दिनांक 19 जून, 2001 द्वारा सम्परीक्षा का कार्य निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल आडिटर, उत्तरांचल के नियन्त्रणाधीन एक प्रभाग के रुप में कार्यरत है, जिसकी प्रशासनिक व्यवस्था मुख्यत: द्विस्तरीय है :-

(1) मुख्यालय स्तरीय।

(2) जिला स्तरीय।

जनपदीय कार्यालयों की सूची **परिशिष्ट** ''घ'' में दी गयी है। उक्त के अतिरिक्त सम्वर्ती सम्परीक्षा कार्यालय भी है जिन पर प्रशासनिक नियन्त्रण निदेशालय द्वारा होता है। सम्वर्ती कार्यालयों की सूची **परिशिष्ट** ''ड.'' में दी गयी है।

7.2-1- मुख्यालय स्तर :- स्थानीय निधि लेखा परीक्षा का प्रधान कार्यालय देहरादून में स्थित है, जो निदेशालय कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल आडिट नाम से जाना जाता है। इसके विभागाध्यक्ष निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल आडिटर उत्तराखण्ड हैं जिन्हें अपने कार्यो के साथ-साथ पदेन रुप से कोषाध्यक्ष धर्मादा संदान उत्तराखण्ड तथा भारतीय धर्मादा सन्दान के उत्तराखण्ड वृत्त के कार्यो का भी सम्पादन करना पडता है।

7.2 -2 – मुख्यालय पर निदेशक के सहयोगी के रुप में अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक तथा अन्य अधीनस्थ कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं जिसका विवरण प्रस्तर-८ में दिया गया है। वर्तमान में जनपदों की प्रमुख बडी संस्थाओं जैसे :- नगर निगम, नगर पालिका परिषदों, विकास प्राधिकरणों, मन्दिर समितियों, इन्जीनियरिंग कालेजों, विश्वविद्यालयों आदि के लेखाओं की लेखा परीक्षा के कार्य का पर्यवेक्षण, इन निकायों के सेवा निवृत्त कर्मचारियों के पेंशन एवं आनुतोषिक के सत्यापन एवं पुष्टीकरण का कार्य मुख्यालय स्तर पर कार्यरत अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

7.3 – जनपद स्तरीय :- लेखा परीक्षाधीन ईकाइयाँ राज्य के शहरी क्षेत्र से लेकर सुदूर ग्रामीण अंचलों तक में स्थित है। विभाग के लेखा परीक्षा कर्मी सभी जनपदों में नियुक्त कर दिये जाते हैं जो सम्बन्धित जनपद में स्थित परीक्षाधीन ईकाइयों की लेखा परीक्षा करते रहते हैं। उनके कार्यो पर स्थानीय नियन्त्रण, पर्यवेक्षण एवं मार्ग दर्शन हेतु जनपद स्तर पर जिला सम्परीक्षा अधिकारी के कार्यालय स्थापित हैं प्रदेश के 13 जिलों में से अब तक 09 जिलों में जिला सम्परीक्षा अधिकारी कार्यालय स्थापित हैं। शेष जनपदों मं अभी तक जनपदीय कार्यालय नहीं खोले जा सके हैं। अत: निकटवर्ती जिला सम्परीक्षा अधिकारी द्वारा ही उन जनपदों के कार्यो का सम्पादन किया जा रहा है।

7.4 – राज्य स्तरीय :- शासनादेश संख्या वि०अनु० -1/2003 दिनांक 03 सितम्बर, 2003 द्वारा उत्तरांचल कृषि उत्पादन मण्डी परिषद उधमसिंह नगर एवं वन विकास निगम नरेन्द्रनगर में सम्परीक्षा अधिकारियों के कार्यालय स्थापित किये गये हैं।

8- विभाग की जनशाक्ति :- वर्ष 2007-08 के अन्त में स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग में श्रेणीवार स्वीकृत पदों एवं उन पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण निम्नवत् रहा है।

क्र० सं०	अधिकारी/कर्मचारी का समूह	स्वीकृत पद	कार्यरत संख्या	कार्यरत कर्मियों का प्रतिशत
1-	समूह ''क''	04	01	25
2-	समूह ''ख''	16	10+1	69.75
3-	**समूह ''ग''**			
	(1) सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी	14	11	
	(2) वरिष्ठ लेखा परीक्षक ग्रेड-१	04	03	
	(3) वरिष्ठ लेखा परीक्षक	82	09	23.3
	(4) लेखा परीक्षक	20	05	
	(5) आशुलिपिक	03	00	
	(6) प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-१	01	00	
	(7) प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-२	03	01	
	(8) मुख्य सहायक	08	02	
	(9) प्रवर सहायक	12	11	
	(10) कनिष्ठ सहायक	16	01	
	(11) वाहन चालक	03	01	33.33
4-	समूह ''घ''	61	13	21.31
	योग	**247**	**68**	**27.53**

9- स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा वर्ष में सम्पादित कार्य :- वर्ष 2007-08 में 76.67 प्रतिशत लेखा परीक्षा पदों के रिक्त रहने के उपरान्त भी सम्परीक्षाधीन 949 लेखाओं में से 166 लेखाओं की सम्परीक्षा पूर्ण की गई। शेष 783 लेखाओं की सम्परीक्षा जनशक्ति की कमी के कारण सम्पादित नहीं करायी जा सकी।

10.1.1 – सम्परीक्षा में उदघाटित अनियमिततायें :-

(क) स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा वर्ष 2007-08 तक में सम्रीक्षित लेखाओं में उदघाटित विशिष्ट अनियमितताओं के अन्तर्गत कुल रु० **4,82,80,486.00** की धनराशि अन्तर्निहित थी जिसका शीर्षकवार विवरण निम्नानुसार है तथा संस्थावार विवरण कार्यकारी खण्ड में दिया गया है।

क्रमांक	शीर्षक	धनराशि (रु० में)
1-	व्यपहरण	455875.00
2-	अधिक/अनियमित/परिहार्य	20760649.00
3-	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमिततायें	5494134.00
4-	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमिततायें	494944.00
5-	आर्थिक क्षति	9769562.00
6-	राजस्व क्षति	1271178.00
7-	अस्थायी अग्रिम	3979224.00
8-	अनानुमोदित व्यय	4255827.00
9-	दुर्विनियोग	1799093.00
	योग	**4,82,80,486.00**

(ख) प्रदेश में स्थित सम्परीक्षाधीन संस्थाओं पर 31 मार्च, 2008 तक लम्बित आडिट आपत्तियों का विवरण **परिशिष्ट** "च" में दिया गया है। इसके अनुसार वर्ष में संस्थाओं द्वारा मात्र 786 आडिट आपत्तियों का निस्तारण कराया गया।

10.1.2 – विशेष सम्परीक्षाऐं :-- प्रभाग के सम्परीक्षाधीन संस्थाओं के बारे में अत्यन्त गम्भीर प्रकृति यथा गबन/दुर्विनियोग/आर्थिक क्षति से सम्बन्धित की विशेष जॉच संस्था अथवा जिलाधिकारी या आयुक्त के अनुरोध पर शासन की स्वीकृति से सम्पादित की जाती है। वर्ष 2007-08 में उत्तराखण्ड मुक्त विश्व विद्यालय वर्ष 2005-06 से दिसम्बर 2007-08 तक नगर

पंचायत काला ढुंगी 2002-03 से 2006-07 तक तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी नैनीताल वर्ष 2004-05 से 2005-06 की विशेष सम्परीक्षा सम्पन्न की गयी।

10.2.1 – **सम्परीक्षा शुल्क की स्थिति** :- वर्ष 2007-08 में आरोपित एवं वसूल किये गये सम्परीक्षा शुल्क की स्थिति निम्नवत् थी :-

	(रुपयों में)
01 अप्रैल, 2007 को प्रारम्भिक शेष	35832873.00
वर्ष में स्थापित माँग	30376290.00
योग	66209163.00
वर्ष में समाहरण	27923631.00
31 मार्च, 2007 को बकाया	38285532.00

10.2.2 - उपर्युक्त से स्पष्ट है कि विभाग द्वारा आरोपित लेखा परीक्षा शुल्क की वसूली करने का पूरा प्रयास किया गया। इन्ही प्रयासों के फलस्वरुप वर्तमान वित्तीय वर्ष में दो करोड नवासी लाख तेईस हजार छः सौ इक्तीस रुपये की वसूली हुई है जिसमे गत वर्ष का बकाया भी सम्मिलित है उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम – 1984 की धारा 4(4) के अधीन केवल शासन को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सम्बन्धित स्थानीय निधि/ संस्थाओं के बैंकर्स को सम्बन्धित जिलाधिकारी के माध्यम से यह आदेश दे सकते हैं कि उनके बैंक खातों से सम्परीक्षा शुल्क की धनराशि राजकीय कोषागार के निर्दिष्ट लेखा शीर्षक में अन्तरित कर दे। इस सम्बन्ध में उत्तरांचल स्थानीय निधि/निकाय लेखा परीक्षा नियमावली, 2001 का प्रख्यापन अपेक्षित है ताकि शुल्क वसूली हेतु नियमावली के प्राविधानों के अधीन रहते हुए विभाग स्तर पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

11.1- चैरीटेबुल एण्डाउमेन्ट एक्ट 1890 (एक्ट आफ 1890) की धारा-3 के अधीन उत्तरांचल की भौगोलिक सीमा में स्थित न्यासों की परिसम्पत्तियों के लिये निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल आडिटर, उत्तराखण्ड को शासनादेश संख्या 163/xxvii(2)/2005 दिनांक 06 अक्टूबर, 2005 द्वारा कोषपाल, खैरासी निधि नियुक्त किया गया है। इनका विवरण **परिशिष्ट** ''छ'' में दिया गया है।

(1) वर्ष 2007-08 में प्रतिमूतियों से प्राप्त ब्याज का 98 प्रतिशत रू0 91337.00 के भुगतान आदेश सम्बन्धित न्यासों को प्रेषित किये गये।

12- **लेखाकार परीक्षा का आयोजन :-** दिसम्बर, 2007 में जिला पंचायत लेखाकार परीक्षा का आयोजन किया गया जिसमें 29 परीक्षार्थितयों द्वारा भाग लिया गया तथा 03 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुये। दिसम्बर, 2008 में परीक्षा आयोजन हेतु कार्यवाही प्रगति पर है।

13- **जिला पंचायतों, स्थानीय निकायों, जल संस्थानों के पेंशन एवं आनुतोषिक प्रकरणों का निस्तारण :-** वर्ष 2007-08 में प्रकरणों की प्राप्ति एवं उनके निस्तारण की स्थिति निम्नवत् थी :-

वर्ष के प्रारम्भ में शेष	वर्ष में प्राप्त	वर्ष में निस्तारित	अवशेष
62	261	315	8

14- निष्कर्ष :- उपर्युक्त प्रतिवेदन के साथ संलग्न **परिशिष्ट ''क''** से स्पष्ट है कि इस प्रभाग को वर्ष 2007-08 में 949 लेखाओं की लेखा परीक्षा सम्पादित करनी थी। जनशक्ति की भारी कमी के कारण सम्परीक्षा शुल्क देने वाली स्थानीय निकायों एवं संस्थाओं की सम्परीक्षा को वरीयता देते हुए पूर्ण कराने का लक्ष्य निश्चित करते हुए मात्र 166 लेखाओं की लेखा परीक्षा समाप्त करायी गयी।

आलोच्य वर्ष में सम्परीक्षित संस्थाओं के लेखाओं से सम्परीक्षा आख्याओं के आधार पर पूर्वोक्त कण्डिका 10(1) में वर्णित रु० 4,82,80,486.00 की गम्भीर वित्तीय अनियमिततायें प्रकाश में आयी जिनमें व्यपहरण, दुर्विनियोग, अधिक एवं अनियमित भुगतान, आर्थिक क्षति, राजस्व की क्षति आदि प्रकरण समाविष्ट हैं।

राजेन्द्र प्रसाद पसबोला,
अपर निदेशक
कृते निदेशक

वर्ष 2007-08 में सम्पन्न सम्परीक्षायें
नगर पालिका परिषदें

नगर पालिका परिषद रूद्रपुर (उधमसिंह नगर) (वर्ष 2006-07):-

अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान:-

(1) सफाई एवं विद्युत कर्मचारियों के बिना पद सृजन किये संविदा पर नियुक्त कर रू0 295798.00 वेतन का अनियमित भुगतान किया जाना अनियमित था।

भाग- दो (अ) प्रस्तर 2

(2) विधवा एवं विकलागों को अधिनियम की धारा 157 (2) में निहित प्राधिकारी की अनुमति के बिना वर्ष 2004-05 से वर्ष 2006-07 में 20 प्रतिशत अधिक छूट के फलस्वरूप रू0 125090.00 का अनियमित भुगतान।

भाग- दो (अ) प्रस्तर 4

आर्थिक क्षति:-

(3) विभिन्न लाइसेन्सों का समय से नवीनीकरण न कराने पर अर्थदण्ड न लिये जाने से रू0 13805.00 की आर्थिक क्षति।

भाग- दो (अ) प्रस्तर-5

(4) नगर पालिका की सम्पत्ति न होने पर भी फर्श निर्माण कर रू0 116498.00 का भुगतान कर नगर पालिका को आर्थिक क्षति पहुँचायी गयी।

भाग- दो (अ) प्रस्तर 7

नगर पालिका परिषद खटीमा (उधमसिंह नगर) (वर्ष 2006-07):-

अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान:-

(1) श्री रमन लाल सफाई कर्मचारी को बिना पद सृजित किये नियुक्त कर रू0 134569.00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग दो (अ) प्रस्तर- 3

(2) बिना पद सृजित किये केन्द्रीय संवर्ग के पदो पर नियुक्ति किये जाने से रू0 456096.00 का अनियमित भुगतान हुआ था।

भाग दो (अ) प्रस्तर 11

(3) एक रिक्त पद के सापेक्ष दो कर्मचारियों को नियुक्त कर वेतन के रूप में से रू0 1,21,212.00 का अनियमित भुगतान हुआ था।

भाग दो (अ) प्रस्तर 12

(4) पुराने ब्रिकवर्क 37.07 धन मी0 को तोडने पर प्राप्त ईट का मूल्य बिल में से न घटाये जाने से रू0 24417.00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग दो (अ) प्रस्तर 14

आर्थिक क्षति:-

(1) वर्ष 2006-07 में स्लाटर हाउस का ठेका न दिये जाने से रू0 13,700.00 की आर्थिक क्षति।

भाग दो (अ) प्रस्तर 5

(2) निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर ठेकेदारों से अनुबन्ध न किये जाने के कारण रू0 107250.00 की शासन का आर्थिक क्षति।

भाग दो (अ) प्रस्तर 4

(3) ठेकेदारों से विगत वर्षो की ठेको की वकाया धनराशि न प्राप्त किये जाने से पालिका को रू0 2,24,930.00 की आर्थिक क्षति।

भाग दो (अ) प्रस्तर 8

(4) पेक्षागृह से कोई आय न प्राप्त होने के कारण नगर पालिका को रू0 5,69,200.00 की आर्थिक क्षति।

भाग दो (अ) प्रस्तर 9

नगर पालिका परिषद जसपुर (उधमसिंह नगर) (वर्ष 2005-06):-

अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान:-

(1) बिना पद सृजित किये एवं बिना अनुमोदन प्राप्त किये सफाई कर्मचारियों को संविदा पर नियुक्त कर रू0 542454.00 का अनियमित भुगतान हुआ था।

भाग- दो (अ) प्रस्तर 2

(2) देवी आपदा वित्त पोषित 18 सडकों के निर्माण पर रू0 10,15,984.00 भुगतान स्थलीय निरीक्षण के बिना किया जाना।

भाग दो (अ) प्रस्तर 15

आर्थिक क्षति:-

(1) विभिन्न मदों के लाइसेन्स न बनाने व समय से नवीनीकरण न कराने पर अर्थदण्ड न लिये जाने के कारण रू0 30,637.00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग दो (अ) प्रस्तर 5

(2) निर्माण कार्य से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों से खाली मेक्सफाल्ट ड्रम की धनराशि की कटौती न किये जाने से रू0 69600.00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग दो (अ) प्रस्तर 10

(3) ठेकेदार हाजी जुल्ककार के बिल से 112 खाली ड्रम मेक्सफल्ट के व 13 ड्रम फेक्सफाल्ट सहित की कुल धनराशि रू0 62868.00 कटौती न करने के कारण रू0 62868.00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग दो (अ) प्रस्तर 11

नगर पालिका परिषद गदरपुर (उधमसिंह नगर) (वर्ष 2006-07):-

अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान:-

(1) शासनादेश संख्या 1774/सा0नि0/05/5(अ0)2001 शहरी विकास विभाग देहरादून दिनांक 4 अप्रैल 2005 का उल्लघंन कर अधिशासी अधिकारी द्वारा चयन वेतनमान की वकाया धनराशि का भविष्य खाते में जमा न कर रू0 258794.00 का नकद भुगतान किया जाना अनियमित था।

भाग दो (अ) प्रस्तर 1

(2) स्वच्छता मोहल्ला समिति से सफाई व्यवस्था न कराकर ठेके के माध्यम से सफाई व्यवस्था कराने पर रू0 199800.00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग दो (अ) प्रस्तर 5

राजस्व क्षति:-

(1) निर्धारित मूल्य के स्टाम्प न लगाये से रू0 38290.00 की राजकीय राजस्व की क्षति हुई थी।

भाग दो (अ) प्रस्तर 2

(2) ठेकेदारों के बिल से आयकर की कटौती न किये जाने से रू0 11982.00 की राजकीय राजस्व की क्षति हुई थी।

भाग दो (अ) प्रस्तर 3

आर्थिक क्षति:-

(1) दैनिक तह बाजारी का नीलामी ठेका रू0 26000.00 कम पर दिये जाने से की राजस्व की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग दो (अ) प्रस्तर 4

नगर पालिका खटीमा (उधमसिंह नगर) (वर्ष 2003-04 से 2005-06):-

अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान:-

(1) केन्द्रिय सेवा के पदों पर 4 अकेन्दिमित कर्मचारियों की अनियमित रूप से पदोन्नति किये जाने से रू0 22215.00 का अनियमित भुगतान हुआ था।

भाग दो (अ) दो (क)

(2) एक परिचालक तथा एक चालक एवं सात स्वच्छकों की शासनादेश के विपरीत संविदा पर नियुक्ति किये जाने से रू0 655762.00 का अनियमित भुगतान हुआ था।

भाग दो (अ) दो ख

(3) शासनादेशों के बिपरीत मंहगाई वेतन एवं मंहगाई भत्ते के बकाया रू0 306546.00 का नकद भुगतान किया जाना अनियमित था।

भाग दो (अ) 2 ग

(4) दैनिक वेतनभोगी सफाई मजदूर की नियमित नियुक्ति के फलस्वरूप रू0 99232.00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग दो (अ) दो च

(5) सफाई कर्मचारी की अनियमित नियुक्ति के फलस्वरूप रू0 124647.00 का अधिक एवं अनियमित भुगतान हुआ था।

भाग दो (अ) दो छ

<u>आर्थिक क्षति:-</u>

(1) वार्षिक मूल्य कम कर पालिकर को गृह कर के रूप में रू0 139060.00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग दो (अ) तीन घ

(2) पालिका की दुकानों एवं गोदामों को निर्धारित न्यूनतम प्रीमियम से कम पर नीलाम किये जाने से रू0 1060500.00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग दो (अ) तीन ग

<u>राजस्व क्षति:-</u>

(1) निर्माण देयकों से काटे गये आयकर वाणिज्य कर को जमा न करने से रू0 136626.00 राजकीय राजस्व की क्षति हुई थी।

भाग दो (अ) तीन क

(2) विभिन्न नीलामी के ठेकों में निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पेपर में अनुबन्ध न कराने से रू0 225780.00 राजकीय राजस्व की क्षति हुई थी।

भाग दो (अ) तीन ख

<u>नगर पालिका जोशीमठ (चमोली) (वर्ष 2006-07)</u>

<u>अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान:-</u>

(1) बिना पद सृजन के कर्मचारियों को संविदा के आधार पद नियुक्ति जारी रखे जोन से रू0 87576.00 का अनियमित भुगतान हुआ था।

भाग दो (ब) प्रस्तर ग

(2) निर्माण कार्य ठेके पर न कराकर अमानी पर कराये जाने पर भी व्यय अनुमान दरों में 10 प्रतिशत ठेकेदार लाभांश न घटाये जाने के कारण रू0 19770.00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग दो (ब) प्रस्तर 1 (ड)

(3) ठेके की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष रू0 15558.00 का अधिक कार्य कराया गया था।

भाग दो (ब) प्रस्तर 1 (घ)

नगर पालिका परिषद गोपेश्वर (चमोली) (वर्ष 2006-07):-

अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान:-

(1) बिना पद सृजन के कर्मचारियों को दैनिक/संविदा के आधार पर नियुक्ति स्वरूप रू0 3,82,560.00 का अनियमित भुगतान हुआ था।

भाग दो (ब) प्रस्तर 1 (ख)

(2) मोहल्ला स्वच्छता समिति के अध्यक्षों से अपेक्षित प्रमाण पत्र एवं प्राप्ति रसीदों के बिना रू0 40000.00 का अनियमित भुगतान हुआ था।

भाग दो (ब) प्रस्तर 1 (ग)

आर्थिक क्षति:-

(1) अवशेष विद्युत देयकों का यथासमय भुगतान न करने से एरियर पर रू0 288417.00 का परिहार्य व्यय भार डाला गया था।

भाग दो (ब) प्रस्तर 1(ड)

नगर पालिका रूद्रप्रयाग (रूद्रप्रयाग) (वर्ष 2006-07):-

अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान:-

(1) अवस्थापना निधि से प्राप्त ब्याज रू0 365536.00 को राजकोष में जमा न किया जाना अनियमित था।

भाग दो (ब) प्रस्तर 1(छ)

नगर पालिका श्रीनगर (पौडी) (वर्ष 2006-07):-

आर्थिक क्षति:-

(1) मांस दुकान से प्रीमियम न वसूल ने से रू0 16800.00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग दो (ब) प्रस्तर 3 (ख)

राजस्व क्षति:-

(1) चाहत टेन्ट हाउस से रू0 4805.00 आयकर कटौती न किये जाने से राजस्व क्षति हुई थी।

भाग दो (ब) (डं)

नगर पालिका परिषद अल्मोडा (अल्मोडा) (वर्ष 2006-07):-

अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान:-

(1) दैनिक वेतन पर नियुक्ति के फलस्वरूप रू0 923641.00 का अनियमित भुगतान हुआ था।

भाग दो (अ) प्रस्तर 1 (अ)

(2) कतिपय मदों में बजट प्राविधान से अधिक व्यय करने से रू0 311676.00 का अनियमित भुगतान हुआ था।

भाग दो (अ) प्रस्तर 1 (य)

नगर पालिका नरेन्द्र नगर (टिहरी गढवाल) (वर्ष 2006-07):-

अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान:-

(1) शासनादेशों के विपरीत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों पर रू0 129829.00 का अनियमित भुगतान हुआ था।

भाग दो (अ) 5 (1)

आर्थिक क्षति:-

(1) विभिन्न लाइसेन्सों हेतु निर्धारित दर से कम फीस लिये जाने से रू0 2,34,25.00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग दो (ब) प्रस्तर 1(क) (ई)

नगर पालिका परिषद पिथौरागढ (पिथौरागढ) (वर्ष 2006-07):-

आर्थिक क्षति:-

(1) पशुबध शुल्क कम वसूल जाने से नगर पालिक परिषद को रू0 77424.00 की आर्थिक क्षति हुई।

भाग दो (ब) (2) (1)

(2) लाइसेन्स कम बनाये जाने के कारण पालिका परिषद को रू0 5817.00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग दो (ब) (2) (2)

अस्थाई अग्रिम:-

(3) अग्रिमों का समायोजन न होने से रू0 4,82,442.00 का दुरूपयोग था।

भाग दो (ब) 9 (ड)

नगर पालिका काशीपुर (उधमसिंह नगर) (वर्ष 2005-06):-

अधिक/अनियमित/आमन्य भुगतान:-

(1) श्री जगदीश सिंह बिष्ट ठेकेदार को रू0 29877.00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग दो प्रस्तुत (क)

(2) श्री अजय शर्मा एवं श्री अजय अग्रवाल ठेकेदार को रू0 10704.00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग दो (अ) (च) (ड)

(3) ठेकेदारों से विलम्ब शुल्क न काटे से रू0 106400.00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भार दो (अ) 3 (ज)

(4) ठेकेदार को रू0 57006.00 का अमान्य भुगतान हुआ था।

भाग दो (अ) 3 (ज)

(5) अर्थ वर्क हेतु पी0 डब्ल0 डी0 रेट से अधिक दर पर भुगतान करने से रू0 3,22,46.00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग दो (अ) 3 (ट)

नगर पंचायत गौचर (चमोली) (वर्ष 2006-07):-

अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान:-

(1) विभिन्न यात्रा हेतु बिना यात्रा देयक टैक्सी रसीद प्रस्तुत किये रू0 16200.00 का अनियमित भुगतान हुआ था।

भाग दो (ब) प्रस्तर 1(ख)

(2) स्वीकृत अनुमान से अधिक कार्य कराये जाने से रू0 35888.00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग दो (ब) प्रस्तर

नगर पंचायत लढौरा (हरिद्वार) (वर्ष 2006-07):-

अधिक/अनियमिति/अमान्य भुगतान:-

(1) अधिष्ठान सम्बन्धी कर्मचारियों को पर्वतीय विकास भत्ते के रूप में रू0 1,15,00.00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग दो (ब) (क)

राजस्व क्षति:-

(1) ठेके का अनुबन्ध न किये जाने से रू0 39750.00 की क्षति हुई थी।

भाग दो (ब) (ग)

नगर पंचायत लक्शर (हरिद्वार) (वर्ष 2006-07)

राजस्व क्षति:-

(1) ठेका अनुबन्धों में निर्धारित स्टाम्प शुल्क न लिये जाने के कारण रू0 40895.00 राजस्व क्षति हुई थी।

भाग दो (ब) 2

नगर पंचायत दिनेश पुर (उधमसिंह नगर) (वर्ष 2005-06):-

अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान:-

(1) पुस्तकालय निर्माण हेतु प्राप्त अनुदान से फनिर्चर क्रय कर रू0 39582.00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग दो (अ) प्रस्तर 2 (क)

(2) राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदानों से रू0 84705.00 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों पर किया जाना अनियमित था।

भाग दो (अ) प्रस्तर 3 (ख)

राजस्व क्षति:-

(1) विविध नीलामी ठेकों में निर्धारित मूल्य के स्टाम्प में अनुबन्ध न किये जाने से रू0 60020.00 राजकीय राजस्व की क्षति हुई थी।

भाग दो (अ) प्रस्तर 4 (क)

आर्थिक क्षति:-

(1) ठेकों की धनराशि बकाया रहने से रू0 292800.00 की आर्थिक क्षति सम्भावित थी।

भाग दो (अ) प्रस्तर 4(ग)

नगर पंचायत कीतिनगर (टिहरी गढवाल) (वर्ष 2006-07):-

अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान:-

(1) शासनादेश संख्या 2423/9-1-86 दिनांक 3-4-1982 के विपरीत सविदा पर नियुक्ति स्वरूप रू0 25200.00 का अनियमित भुगतान हुआ था।

भाग दो (अ) प्रस्तर 5 (क)

अधिष्ठान:-

(2) पर्वतीय भत्ते की मद पर कर्मचारियों को रू0 8200.00 अनियमित भुगतान हुआ था।

भाग दो (अ) प्रस्तर 5 (1)

नगर पंचायत चम्बा (टिहरी गढवाल) (वर्ष 2006-07):-

अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान:-

(1) संविदा पर कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों पर रू0 105250.00 का अनियमित भुगतान हुआ था।

भाग दो (अ) प्रस्तर 5

नगर पंचायत गंगोत्री (उत्तरकाशी) (वर्ष 2006-07):-

अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान:-

(1) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों पर रू0 5612.00 का अनियमित भुगतान हुआ था।

भाग दो (अ) प्रस्तर 5

नगर पंचातय बडकोट जनपद उत्तरकाशी (वर्ष 2006-07):-

अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान:-

(1) संविदा तदर्थ वर्क चाज दैनिक वेतन भोगी नियुक्त कर्मचारियों पर रू0 42163.00 का अनियमित भुगतान हुआ था।

भाग दो (अ) 5 (क)

अधिष्ठान सम्बन्धित:-

(2) बिना पद स्वीकृति के राजस्व मोहरिरों पर रू0 173564.00 का अनियमित भुगतान हुआ था।

भाग दो (अ) प्रस्तर 5 (ख)

नगर पंचायत धारचूला (पिथौरागढ) (वर्ष 2006-07):-

दुरूपयोग:-

(1) वाहन सं0 यू0ए0 05 3653 की लॉग बुक मी0 579.90 लीटर डीजल व 4 लीटर मोबिल आयल की प्रविष्टि न होने से रू0 26568.00 का दुरूपयोग हुआ था।

भाग दो (ब) प्रस्तर 1 (ग)

नगर पंचायत डीडीहाट (पिथौरागढ) (वर्ष 2006-07):-

व्यपहरण:-

(1) विभिन्न रसीदों से प्राप्त आय को रोकड वही और बैक में जमा न करने के कारण रू0 1020.00 का व्यपहरण किया गया था।

भाग दो (ब) 1 (ग) (3)

नगर पंचायत चम्पावत (पिथैरागढ) (वर्ष 2006-07):-

राजस्व क्षति:-

(1) अवस्थापना मद से प्राप्त ब्याज रू0 232320.00 को शासन को न लौटाये जाने से शासन को राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी थी।

भाग दो (ब) प्रस्तर 1 (घ) (2)

नगर पंचायत हर्बटपुर (देहरादून) (वर्ष 2006-07):-

व्यपहरण:-

(1) वार्ड न0 1 में टायल्स रोड एवं नाली निर्माण कार्य में रू0 22000.00 का व्यपहरण सम्भावित था।

भाग दो (ब) प्रस्तर 1 (ख)

अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान :-

(1) वर्ष 2006-07 में किया गया व्यय रू0 4907109.00 बोर्ड से पारित न होने के कारण अग्राह्य था।

भाग दो (ब) प्रस्तर 1 (क)

(2) कर्मचारियों को अनियमित रूप से वाहन भत्ता दिये जाने से रू0 4200.00 का अनियमित भुगतान हुआ था।

भाग दो (ब) प्रस्तर क 1 (ग)

(3) दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के नाम चैक काटकर ठेकेदार को रू0 22478.00 का भुगतान किया गया था। भुगतान अनियमित था।

भाग दो (ब) प्रस्तर क 1 (ट)

(4) अवस्थापना निधि से कराये गये कार्यो के लिये अनुमानित लागत से 92379.00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग दो (ब) प्रस्तर 1

राजस्व की क्षति:-

(1) ठेकेदारों से स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध न कराने एवं बिल पर आयकर की कटौती न करने के कारण रू0 93176.00 के राजस्व की क्षति हुई थी।

भाग दो (ब) प्रस्तर 1 (च) 1 (छ) एवं 1(झ)

नगर पंचायत कालाढुगी (नैनीताल) (वर्ष 2002 से 2006-07)

विशेष सम्परीक्षा :-

अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान:-

(1) वर्ष 2003-04 में स्वीकृत अनुमान से अधिक रू0 184425.00 का अधिक भुगतान हुआ था।

प्रस्तर 1

(2) पुनरीक्षित अनुमान के फस्वरूप (310700-101314) रू0 209386.00 का कार्य का विचलन हुआ था।

प्रस्तर 2

(3) देवी आपदा हेतु प्राप्त अनुदान रू0 29.44 लाख के विरूद्ध रू0 44.22 लाख का कार्य कराये जाने से रू0 14,78,000.00 का अनियमित एवं अग्राध्य भुगतान किया गया था।

प्रस्तर 3 (क)

(4) निमार्ण कार्य में सेटलमेन्ट चार्ज न काटे जाने से रू0 8670.00 का अधिक भुगतान हुआ था।

प्रस्तर 3 (ख) 4 (घ) 10

(5) स्वीकृत दर से अधिक दर पर भुगतान किये जाने से रू0 21120.00 का अधिक भुगतान अनियमित था।

प्रस्तर 4 (क) ।।

(6) स्वीकृत मात्रा से अधिक मात्रा का भुगतान किये जाने से रू0 425696.00 का अनियमित भुगतान हुआ था।

प्रस्तर 4 (ख) 6, 12 (1) (2) (3)

(7) तकनिकी जाचोपरान्त जिलाधिकारी आदेश अनुसार ठेकेदार के बिलों से रू0 15475.00 की कटौती न किया जाना अनियमित था।

प्रस्तर 8 (1) (2)

राजस्व क्षति:-

(1) आयकर रू0 97585.00 जमा न किये जाने से राजकीय राजस्व क्षति हुई थी।

प्रस्तर 5

नगर पंचायत मछुआडाबरा (उधमसिंह नगर) (वर्ष 2005-06)

राजकीय अनुदान सम्बन्धी अनियमिततायें-

(1) 11 वें वित्त आयोग से प्राप्त रू0 129408.00 का नियत उद्देश्यों में उपभोग न कर दुरूपयोग किया गया था

भाग दो (अ) 6

आर्थिक क्षति:-

(1) साप्ताहित हाट बाजार ठेके में नीलामी निरस्त किये जाने के फलस्वरूप पंचायत को रू0 225000.00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग दो (अ) 1

(2) तहबाजारी की वसूली न किये जाने से रू0 162000.00 की क्षति हुई थी।

भाग दो (अ) 3

व्यपहरण:-

(1) रसीदों से प्राप्त आय रू0 1500.00 का पंचायत निधि में जमा न कर व्यपहरित कर ली गई थी।

भाग दो (अ) 4

कृषि उत्पादन मण्डी समिति ज्वालापुर (हरिद्वार) (वर्ष 2006-07):-

आर्थिक क्षति:-

(1) लाइसेन्सों का नवीनीकरण न किये जाने से रू0 10575.00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग दो (ब) 7

कृषि उत्पादन मण्डी समिति काशीपुर (उधमसिंह नगर) (वर्ष 2005-06):-

अधिक/अमान्य/अनियमित भुगतान:-

(1) मण्डी समिति द्वारा मैनपावर सेक्योरिटी हल्द्वानी को स्वीकृति न होने पर भी सुपर वाइजर के मानदेय के रूप में रू0 50480.00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग 2 व प्रस्तर 1 (क)

आर्थिक क्षति:-

(1) मण्डी समिति द्वारा किराया न वसूल करने के कारण मण्डी समिति को रू0 46900.00 को आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग 2 ब प्रस्तर 1 (ख)

कृषि उत्पादन मण्डी समिति गदपुर (उधमसिंह नगर) (वर्ष 2006-07):-

आर्थिक क्षति:-

(1) मण्डी समिति द्वारा लाइसेन्सों का नवीनीकरण न किये जाने से समिति को रू0 9450.00 की आर्थिक क्षति पहुँचाई गयी थी।

भाग दो (अ) प्रस्तर 2

(2) मण्डी समिति द्वारा रू0 1503124.00 मण्डी शुल्क एवं विकास सैस न वसूल करके समिति की आर्थिक क्षति पहुँचायी गयी थी।

भाग दो (अ) प्रस्तर 4

कृषि उत्पादन मण्डी समिति रूद्रपुर (उधमसिंह नगर) (वर्ष 2006-07):-

आर्थिक क्षति:-

(1) मै0 वंसल इण्डस्ट्रीज से ब्याज की वसूलीन करने के कारण समिति को रू0 1121.00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग 2 (अ) प्रस्तर 1

(2) विभिन्न व्यापारियों एवं संस्थाओं से मण्डी शुल्क एवं विकास सैसे न वसूल करने के कारण समिति को रू0 24874.00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग 2 (अ) प्रस्तर 2

(3) लाइसेन्सों का नवीनीकरण न होने से समिति को रू0 7900.00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग 2 (अ) प्रस्तर 3

(4) दुकानों का किराया माफ करने के कारण समिति को रू0 24740.00 की आर्थिक क्षति पहुँचायी गयी थी।

भाग 2 (अ) प्रस्तर 4

(5) दुकानों का किराया न वसूलने एवं दुकानों का आवंटन न करने के कारण समिति को रू0 787647.00 की आर्थिक क्षति पहुँचायी गयी थी।

भाग 2 (ब) प्रस्तर 1 (क) (ख)

कृषि उत्पादन मण्डी समिति जसपुर (उधमसिंह नगर) (वर्ष 2005-06 से 2006-07):-

आर्थिक क्षति:-

(1) वन निगम से प्राप्त ब्याज को कटौती न किये जाने से समिति को रू0 6102.00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग 2 (अ) प्रस्तर 1

(2) मैसर्स किसान इन्डस्ट्रीज जसपुर से मण्डी शुल्क पर आरोपित ब्याज की वसूली न होने के कारण समिति को रू0 17456.00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग 2 (अ) प्रस्तर 3

(3) दुकानों का किराया न वसूली करने के कारण समिति को रू0 68404.00 की क्षति हुई थी।

भाग 2 (अ) प्रस्तर 6

(4) लाइसेन्सों का नवीनीकरण न होने से समिति को रू0 3150.00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग 2 (अ) प्रस्तर 7

कृषि उत्पादन मण्डी समिति खटीमा (उधमसिंह नगर) (वर्ष 2006-07):-

आर्थिक क्षति:-

(1) दुकानों को किरायों पर न उठाये जाने के कारण समिति को रू0 54989.00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग 2(अ) प्रस्तर 1

(2) वन निगम से मण्डी शुल्क पर ब्याज न वसूल करने के कारण समिति को रू0 2505.00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग 2 (अ) प्रस्तर 2

(3) दुकानों के बकाये की वसूली न होने से समिति को अब तक रू0 370596.00 की क्षति हुई थी।

भाग 2 (अ) प्रस्तर 3

(4) विभिन्न संस्थाओं पर मण्डी शुल्क एवं विकास सैस का बकाया न वसूल होने से रू0 150820.00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग 2 (अ) प्रस्तर 4

(5) लाइसेन्सों का नवीनीकरण न होने से समिति को रू0 4400.00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग 2 (अ) प्रस्तर 5

(6) उत्तरांचल उपभोक्ता संघ उत्तराखण्ड से मण्डी शुल्क पर ब्याज न वसूल करने के करण रू0 45477.00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग 2 (अ) प्रस्तर 6

कृषि उत्पादन मण्डी समिति देहरादून (देहरादून) (वर्ष 2006-07):-

राजस्व क्षति:-

(1) कैटीन ठेके का स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध न किये जाने के कारण रू0 48014.00 के राजस्व क्षति हुई थी।

भाग दो (ब) प्रस्तर 1 (ख)

आर्थिक क्षति:-

(1) मण्डी शुल्क मांग एवं समाहरण पंजी में इतिशेष अग्रेनित न किये जाने के कारण रू0 1685.00 के क्षति की सम्भावना थी।

भाग दो (ब) प्रस्तर 1 (घ)

(2) भरत सिंह चौकीदार पर आरोपित दण्ड की वसूली न किये जाने के कारण रू0 30206.00 की क्षति हुई थी।

भाग दो (ब) प्रस्तर 1 (च) 1

अधिष्ठान सम्बन्धी:-

(1) वरिष्ठ सहायक को वाहन भत्ते के रूप में रू0 4200.00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग दो (ब) प्रस्तर 1 (क)

(2) श्री भरत सिंह चौकीदार को बोनस का रू0 2467.00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग दो (ब) प्रस्तर 1 (छ)

कृषि उत्पादन मण्डी समिति विकास नगर (देहरादून) (वर्ष 2006-07):-

अधिक/अनियमित भुगतान:-

(1) आचार संहिता लागू होते के बाद भी सभापति द्वारा सरकारी गाडी का प्रयोग करके रू0 2948.00 के डीजल का दुरूपयोग किया गया था।

भाग दो (ब) प्रस्तर 1 (क)

राजवस्व क्षति:-

(1) लाइसेन्सों का नवीनीकरण न करने से मण्डी समिति को 11650.00 की क्षति हुई थी।

भाग दो (ब) प्रसतर 1 (ख)

कृषि उत्पादय मण्डी समिति बाजपुर (उधमसिंह नगर) (वर्ष 2006-07):-

आर्थिक क्षति:-

(1) समिति खातों में चैक की धनराशि विलम्ब से जमा होने पर रू0 25725.00 ब्याज की क्षति हुई थी।

भाग दो (अ) 1

(2) परिसम्पातियों पर रू0 190192.00 किराया बकाया रहने से आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग दो (अ) 4

(3) विक्रय वाउचर निरस्त किये जाने से रू0 12005.00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग दो (अ)

कृषि उत्पादन मण्डी समिति सितारगंज (उधमसिंह नगर) (वर्ष 2006-07)

आर्थिक क्षति:-

(1) किराया वसूल न किये जाने से रू0 38082.00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग दो (ब) 1 घ

(2) भवन अग्रिम रू0 34482.00 की वसूली न किये जाने से आर्थिक क्षति हुई थी।

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढवाल विश्वविद्यालय श्रीनगर (गढवाल) (वर्ष 2004-05):-

दुर्विनियोग:-

(1) परीक्षा फार्मो के विक्रय से प्राप्त धनराशि रू0 155000.00 को विश्वविद्यालय कोष में अत्यन्त विलम्ब से जमा करके उसका दुर्विनियोग किया गया था।

भाग दो (ब) का प्रस्तर 10 (ख)

(2) उप कार्यालय देहरादून द्वारा आवेदन पत्रों की विक्री से प्राप्त रू0 2 लाख विश्वविद्यालय खातों में जमा न करके सीधे श्री वीरेन्द्र सिंह रावत नैत्यिक लिपिक को अग्रिम के रूप में अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग दो (ब) प्रस्तर 63

(3) श्री वीरेन्द्र सिंह रावत नैत्यिक लिपिक को वर्ष 1990-91 से वर्ष 2004-05 तक रू0 1311800.00 अग्रिम का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग दो (ब) प्रस्तर 64

अनानुमोदित व्यय:-

(1) शासनादेशो के विपरीत विश्वविद्यालय के विभिन्न अनुभागो/विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नैत्यिक प्रकृति के कार्यो हेतु रू0 1386100.00 मानदेय का भुगतान किया गया था।

भाग दो (ब) प्रस्तर 12 (क)

(2) शासनादेशों के विपरीत दैनिक वेतन/संहत वेतन भोगी कर्मचारियों को नियुक्त कर उनके पारिश्रमिक पर रू0 2321878.00 व्यय किया गया था।

भाग दो (ब) प्रस्तर 12 (ख)

(3) शासनादेशों के विपरीत बी0एड0 प्रवेश परीक्षा खातें से अधिकारियों/कर्मचारियों को नैत्यिक प्रकृति के कार्यो हेतु रू0 547849.00 मानदेय का भुगतान किया गया था।

भाग दो (ब) का प्रस्तर 12 (ग)

अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान:-

(1) शासनादेशों के विपरीत प्रयोग शाला परिचरों को परीक्षा पारिश्रमिक का अधिक दर से भुगतान करने पर रू0 39350.00 का अधिक भुगतान किया गया था।

भाग दो (ब) प्रस्तर 21

(2) अधिक दर प्रदर्शित किये जाने के फलस्वरूप विद्युत विभाग को रू0 66575.00 विद्युत देयको का अधिक भुगतान किया गया था।

भाग दो (ब) प्रस्तर 30

(3) फुल टैक्सी किराये के रूप में रू0 42787.00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग दो (ब) प्रस्तर 37

(4) श्री संतोष कुमार मंमगाई पटवारी कम अमीन को मुख्य खाते के स्थान पर विकास खाते से रू0 78275.00 वेतन के रूप में अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग दो (ब) प्रस्तर 47

(5) शासनादेशों में प्रयोगिक परीक्षा सम्पन्न कराने हेतु स्टोर कीपर एवं स्वीपर्स को पारिश्रमिक अनुमन्य न होने की दशा में रू0 83473.00 पारिश्रमिक का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग दो (ब) प्रस्तर 48

(6) कर्मचारियों के आवासीव कालोनी के विद्युत देयकों की भुगतान कर्मचारियों से न कराके मुख्य खाते से रू0 56593.00 के विद्युत देयकों का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग दो (ब) प्रस्तर 54

(7) विभिन्न छात्र संघों के कार्यक्रमों पर बिना बजट प्राविधान के रू0 68565.00 का अनियमित व्यय किया गया था।

भाग दो (ब) प्रस्तर 55, 59

(8) शासनादेशों के विपरीत व्यक्तिगत आवेदन पत्रों के विक्रय पर रू0 5 प्रति आवेदन पत्र की दर से रू0 123175.00 पारिश्रमिक का अनियमित व्यय किया गया था।

भाग दो (ब) प्रस्तर 62

अधिष्ठान एवं वेतन निर्धारिण से सम्बन्धित अनियमितायें :-

(1) डा0 पी0एस0 राणा उपाचार्य को दो अतिरिक्त वेतन वृद्धियों स्वीकृत किये जाने के कारण रू0 107441.00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग दो (ब) प्रस्तर 75

(2) डा0 आर0 सी0 डिमरी उपाचार्य को कैरियर एंडवासमेन्ट योजना/वैयक्तिक प्रोन्नति योजनान्तर्गत दो अग्रिम वेतन वृद्धिया दिये जाने के फलस्वरूप रू0 79598.00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग दो (ब) प्रस्तर 76

आर्थिक क्षति:-

(1) स्वणवित्त पोषित पाठयक्रम से प्राप्त आय का 40 प्रतिशत से कम धनराशि विश्वविद्यालय को हस्तान्तरित की गयी थी जिसके फलस्वरूप विश्वविद्यालय को रू0 2577681.00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग दो (ब) प्रस्तर 81

राजस्व क्षति:-

(1) विश्वविद्यालय को उपकरण फर्नीचर व अन्य सामग्री की आपूर्ति करने वाले फर्मो/एजेन्सी से आयकर की कटौती न किये जाने के फलस्वरूप रू0 202185.00 की राजस्व क्षति हुई थी।

भाग दो (ब) प्रस्तर 82

अस्थाई अग्रिम:-

(1) अस्थायी अग्रिम का समायोजन न किये जाने से रू0 3048782.00 का संभावित दुरूपयोग किया जाना।

भाग दो (ब) प्रस्तर 89

राज्य महिला आयोग देहरादून (वर्ष 2006-07):-

दुर्विनियोग:-

(1) अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के आयोजन हेतु आहरित धनराशि उपभोग के बाद अवशेष धनराशि को अधिक समय तक हस्तगत रखे जाने के कारण रू0 30000.00 के दुर्विनियोग की सम्भावना थी।

भाग दो (ब) प्रस्तर 1(1)

(2) बिना मांगे के रू0 3900.00 के डाक टिकट अपर सचिव महिला शसक्तिकरण उत्तरांचल को निर्गत किया गया था इन टिकटों की प्राप्ति रसीद भी नहीं थी अंत: रू0 3900.00 के डाक टिकटों का दुरूपयोग सम्भावित था।

भाग दो (ब) प्रस्तर 1(9)

(3) मानदेय हेतु आहरित धनराशि का वितरण न किये जाने से रू0 15000.00 दुरूपयोग की सम्भावना थी।

भाग दो (ब) प्रस्तर 1, 2,

(4) विज्ञापन एजेन्सी के माध्यम से उच्च दर पर विज्ञापन कराये जाने के कारण रू0 83393.00 का दुरूपयोग सम्भावित था।

भाग दो (ब) प्रस्तर 1, (14)

आर्थिक क्षति:-

(1) स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन दिये जाने की आवश्यकता स्पष्ट न होने के कारण रू0 58385.00 का परिहार्य व्यय किया गया था।

भाग दो (ब) प्रस्तर 1(क)

अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान:-

(1) अन्य विभागों के कर्मचारियों को मानदेय देकर रू0 165000.00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग दो (ब) प्रस्तर 1 (4)

(2) कोटेशन के अनुसार आर0के0ट्रेवल्स राजपर रोड देहरादून को किराये की कार लिये जाने के सम्बन्ध में रू0 150098.00 का अनियमित भुगतान हुआ था।

भाग दो (ब) प्रस्तर 1 (12)

(3) आयोग की अध्यक्षा डा0 श्रीमती संतोष चौहान को जलपान व्यय के सदंर्भ में रू0 12750.00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग दो (ब) प्रस्तर 1 (10)

(4) क्रय प्रक्रिया न अपनाये जाने के कारण सरस्वती प्रेस देहरादून को प्रकाशन मद से रू0 242000.00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग दो (ब) प्रस्तर 1 (18)

(5) सचिव को न देय होने पर भी किराये की कार लिये जाने के कारण रू0 7100.00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग दो (ब) प्रस्तर 1(5)

सम्भावित व्यपहरण :-

(1) आयोग की अध्यक्षा एवं अध्यक्षा के निजी स्टाफ को दिये गये मानदेय के संदर्भ में उनकी नियुक्ति आदेश उपस्थिति एवं प्राप्ति रसीद न दिखाये जाने के कारण रू0 431355.00 का भुगतान संदिग्ध प्रतीत हुआ।

भाग दो (ब) प्रस्तर 1 (छ)

अग्रिमों का समायोजन :-

(2) आयोग द्वारा रू0 448000.00 के अग्रिम भुगतान का समायोजन लेखा नहीं प्रस्तुत किया।

भाग दो (ब) प्रसतर 1 (3)

विशेष सम्परीक्षा

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी (नैनीताल) (वर्ष 2005-06):-

अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान:-

(1) बिना भूमि अधिग्रहित किये ही भूमि के सर्वे पर रू0 312900.00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग एक प्रस्तर 1 (अ)

(2) बिना भूमि अधिग्रहित किये एवं बिना कोटेशन/निविदा मागें ले आउट प्लान बनाने पर रू0 585100.00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग एक प्रस्तर 1 (ब)

(3) मै0टेल एक्सेल इन्फोर्मेशन सिस्टम नई दिल्ली से कम्प्यूटर क्रय करने हेतु अनुबन्ध की शर्त 13 के अनुसार भुगतान न किये जाने से रू0 321120.00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग एक प्रस्तर 2 (1)

(4) कम्प्यूटर लैव निर्माण में पार्टी मैसर्स एस0एम0 डिजाइनर कन्ट्रशन नई दिल्ली को दिये गये रू0 1000000.00 का अग्रिम का समायोजन उनके बिल सं0 शून्य दिनांक 22-3-2007 रू0 483071.00 से नहीं किया गया था। जिस कारण अग्रिम का समायोजन न होने के कारण रू0 1000000.00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग एक प्रस्तर 2 (2)

(5) कम्प्यूटर क्रय मद से रू0 93980.00 टी0वी0 एवं टी0वी0 स्टेन्ड व विद्युत सामग्री क्रय कर अनुदान का दुरूपयोग का किया गया था।

भाग प्रथम प्रस्तर 2 (3)

(6) मै0 नैनवाल इनफोरमेटिक को कम्प्यूटर आपूर्ति एवं कम्प्यूटर साज सज्जा हेतु बिना टेन्डर आमन्त्रित किये रू0 185313.00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग एक प्रस्तर 2 (4)

(7) मै0 टेक्नोसिस कन्सलैटन्सी रूडकी को बिना टेन्डर आमन्त्रित किये एवं बिना कोटेशन का विज्ञापन दिये रू0 1032980.00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग एक प्रस्तर 2 (5)

(8) मै0 टैक्नोसिस कन्सलटेन्सी से कम्प्यूटर सामग्री एवं बिना बिल प्राप्त किये ही रू0 500000.00 का अग्रिम भुगतान किया गया था। जो अमान्य व्यय था।

भाग एक प्रस्तर 2 (6)

(9) कम्प्यूटर मद से बिना टेन्डर आमन्त्रित किये केनन कैमरा रू0 38950.00 का क्रय कर अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग एक प्रस्तर 2 (7)

(10) कम्प्यूटर से सम्बन्धित उपस्कर बिना कोटेशन/टेन्डर आमन्त्रित किये और न ही राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य सूची (रेट कान्ट्रेक्ट) के आधार पर क्रय कर रू0 525736.00 अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग एक प्रस्तर 2 (8)

(11) दिनांक 15-11-2007 को पत्रकार की मीटिग हेतु अतिथि सत्कार पर रू0 52449.00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग एक प्रस्तर 3 (क)

(12) अतिथि सत्कार पर रू0 12572.00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग एक प्रस्तर 3 (ख)

(13) अतिथि सत्कार पर रू0 23737.00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग एक प्रस्तर 3 (ग)

(14) अतिथि सत्कार पर रू0 48507.00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग एक प्रस्तर 3 (घ)

(15) अतिथि सत्कार पर रू0 32872.00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग एक प्रस्तर 3 (ड)

(16) अतिथि सत्कार पर रू0 9919.00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग एक प्रस्तर 3 (च)

(17) अतिथि सत्कार पर स्थायी अग्रिम से किया गया व्यय रू0 23910.00 का अनियमित भुगतान हुआ था।

भाग एक प्रस्तर 3 (ज)

(18) स्वतन्त्रता दिवस पर रू0 27425.00 का अतिथि सत्कार अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग एक प्रस्तर 3 (झ)

(19) राज्य अनुदान से प्राप्त रू0 31177.00 का अतिथि सत्कार पर व्यय कर अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग एक प्रस्तर 3 (ट)

(20) विश्वविद्यालय की वर्ष गाठ समारोह पर अतिथि सत्कार पर रू0 99442.00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग एक प्रस्तर 3 (ठ)

(21) श्री एस0ए0 चारी कुल सचिव को रू0 20507.00 का अमान्य अतिथि व्यय।

भाग एक प्रसतर 3 (ड)

(22) स्टेशनरी क्रय पर रू0 47583.00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग एक प्रस्तर 4 (1)

(23) लेखन सामग्री की आपूर्ति हेतु बिना टेन्डर एवं बिना अनुबन्ध रू0 317824.00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग एक प्रस्तर 4 (2)

अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमिततायें:-

(1) अनियमित नियुक्ति के फलस्वरूप कर रू0 1003339.00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग एक प्रस्तर 6 (क)

(2) श्री एस0ए0 चारी कुल सचिव को रू0 7699.00 का प्रतिमाह अधिक भुगतान किया था।

भाग एक प्रस्तर 6 (ख)

(3) असृजित पदो पर नियुक्ति किये जाने के कारण रू0 3971407.00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग एक प्रस्तर 6 (क)

पूर्णानन्द इन्टर कालेज मुनिकीरानी (टिहरी गढवाल) (वर्ष 2006-07):-

आर्थिक क्षति:-

(1) वर्ष 2006-07 तक अध्यापकों कर्मचारियों को माह अगस्त 2004 से श्रेणी सी की अनुरूप भुगतान किये जाने से रू0 109015.00 गृह किराये का अनियमित रूप से अधिक भुगतान हुआ था।

भाग 2 (अ) प्रस्तर 5 (ख)

अधिष्ठान:-

(1) संस्था में कार्यरत अध्यापकों एवं कर्मचारियों को पर्वतीय विकास भत्ते का अनियमित रूप से रू0 72631.00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग दो (अ) प्रस्तर 5 (ख)

केवल कन्या इन्टर कालेज मंगलौर (हरिद्वार) (वर्ष 2006-07):-

आर्थिक क्षति:-

(1) किराया वृद्धि न किये जाने से रू0 6171.00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग दो (ब) 11

राजस्व क्षति:-

(2) ठेके का अनुबन्ध न किये जाने से रू0 39750.00 की क्षति हुई थी।

भाग दो (ब) ग

गंगोत्री मन्दिर समिति उत्तरकाशी (उत्तरकाशी) (वर्ष 2006-07):-

आर्थिक क्षति:-

(1) आय का कम जमा किये जाने से समिति से रू0 8322.00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग दो (अ) 1 (1) (2) (3)

परिशिष्ट ''क'' भाग-I

(प्रस्तर- 3 में सन्दर्भित)

उपसम्परीक्षा के लेखे –

क्र०सं०	लेखे की श्रेणी	लेखाओं की संख्या
1-	नगर निगम	01
2-	नगर पालिका परिषद	31
3-	नगर पंचायतें	33
4-	विकास प्राधिकरण	05
5-	विश्वविद्यालय	04
6-	डिग्री कालेज	13
7-	इण्टर कालेज	196
8-	जूनियर हाई स्कूल	236
9-	संस्कृत पाठशालायें	63
10-	कृषि उत्पादन मण्डी समितियाँ	19
11-	ट्रस्ट लेखे	76
12-	विविध लेखे	226
13-	उत्तरांचल संस्कृत अकादमी	01
14-	बेसिक शिक्षा समितियाँ	13
15-	वन विकास निगम	01
16-	उत्तरांचल चाय बोर्ड	01
17-	पेंशन निधियाँ	14
योग		933

परिशिष्ट ''क'' भाग-2

(प्रस्तर-3.1 में सन्दर्भित)

(क) सम्वर्ती सम्परीक्षायें :-

(1) गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय पन्तनगर (सामान्य लेखा)	01
(2) -------तदैव------ (फार्म लेखा)	01
(3) हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर, गढ़वाल।	01
(4) उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी परिषद उधमसिंह नगर।	01
योग	04

(ख) शत-प्रतिशत सम्परीक्षाधीन लेखें :-

(1) इन्जीनियरिंग कालेज		02
(2) मन्दिर समितियाँ		03
(3) राष्ट्रीय सेवा योजना के लेखे		07
(क) विश्वविद्यालय	04	
(ख) माध्यमिक शिक्षा	02	
(ग) प्राविधिक शिक्षा	01	
योग		12

परिशिष्ट ''ख''

(प्रस्तर-3.2 में सन्दर्भित)

लेखे का नाम एवं सम्बन्धित अधिनियम :-

1- नगर निगम	नगर निगम अधिनियम 1959
2- नगर पालिकायें	नगर पालिका अधिनियम 1916
3- नगर पंचायतें	---तदैव---
4- (क) कृषि उत्पादन मण्डी समितियाँ	उ०प्र० कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम-1964
(ख) राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद	---तदैव---
5- (क) जिला बेसिक शिक्षा समितियाँ	उ०प्र० बेसिक शिक्षा अधिनियम-1972
(ख) बेसिक शिक्षा परिषद	---तदैव---
6- राज्य विश्वविद्यालय	उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम- 1973
7- विकास प्राधिकरण	उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973
8- वन निगम	उ०प्र० वन निगम अधिनियम-1974
9- महाविद्यालय, इण्टर कालेज	वेतन वितरण अधिनियम, शिक्षा संहिता एवं इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम।
10- कृषि विश्वविद्यालय	कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 1958 एवं तदधीन बनाये गये नियम/परिनियम/अध्यादेश।

वित्तीय - विनियमावलियाँ

वित्त हस्त पुस्तिका खण्ड-दो,तीन,पाँच,छः	--	सामान्य रुप से अधिकांश लेखाओं पर लागू।
बजट मैनुअल	--	सामान्य रुप से अधिकांश लेखाओं पर लागू।
समय-समय पर निर्गत शासकीय आदेशों का संकलन	--	सामान्य रुप से अधिकांश लेखाओं पर लागू।

परिशिष्ट ''ग''

(प्रस्तर-5.3 में सन्दर्भित)

शासनादेश संख्या आडिट -1892/दस-78-355(10) दिनांक 21 जून, 1978 द्वारा सम्प्रेक्षेय लेखाओं पर आरोपित सम्परीक्षा शुल्क की दरें :-

(क) सम्वर्ती सम्परीक्षा शुल्क की दर :-

(1) रु० 65000.00 से अनधिक आय पर	05 प्रतिशत
(2) रु० 65000.00 से अधिक परन्तु एक लाख से अनधिक आय पर	रु० 2500.00
(3) रु० एक लाख से अधिक आय पर प्रत्येक रु० 10000.00 या उसके अंश पर	रु० 100.00
(4) न्यूनतम सम्परीक्षा शुल्क	रु० 500.00

(ख) उप सम्परीक्षा शुल्क की दर :-

(1) रु० 65000.00 से अनधिक आय पर	01 प्रतिशत
(2) रु० 65000.00 से अधिक परन्तु एक लाख से अनधिक आय पर	रु० 800.00
(3) रु० एक लाख से अधिक आय पर प्रत्येक रु० 10000.00 या उसके अंश पर	रु० 30.00
(4) न्यूनतम सम्परीक्षा शुल्क	रु० 75.00

(ग) विविध लेखाओं हेतु निर्धारित सम्परीक्षा शुल्क की दर :-

(1) कुल आय पर	0.75 प्रतिशत
(2) न्यूनतम सम्परीक्षा शुल्क	रु० 75.00

(घ) विश्वविद्यालय की उप सम्परीक्षा हेतु निर्धारित सम्परीक्षा शुल्क की दर :-

(1) रु० 65000.00 से अनधिक आय पर	01 प्रतिशत
(2) रु० 65000.00 से अधिक परन्तु एक लाख से अनधिक आय पर	रु० 800.00
(3) रु० एक लाख से अधिक आय पर प्रत्येक रु० 10000=00 या उसके अंश पर	रु० 30.00
(4) न्यूनतम सम्परीक्षा शुल्क	रु० 500.00

(च) शत-प्रतिशत सम्परीक्षा शुल्क की दर :-

शत-प्रतिशत सम्परीक्षा शुल्क की दरें वही हैं जो सम्वर्ती सम्परीक्षा हेतु निर्धारित हैं।

(च) विशेष सम्परीक्षा शुल्क की दर :-

एतदर्थ कोई दर निर्धारित नहीं है। सम्परीक्षा में संलग्न कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं लेखन सामग्री आदि का वास्वविक व्यय संस्था से वसूल किया जाता है।

परिशिष्ट ''घ''

(प्रस्तर-7.1 में सन्दर्भित)

क्र०सं०	जनपद का नाम	पता	दूरभाष संख्या
1	देहरादून	8-ए बंगाली मौ० करनपुर, देहरादून।	0135-2744075
2	हरिद्वार	नगर पालिका परिषद हरिद्वार पिनकोड-	01344-220955
3	टिहरी (गढवाल)	विकास भवन नई टिहरी। 249148	01376-232805
4	पौड़ी (गढवाल)	माल रोड पौड़ी	01368-223477
5	चमोली	पैट्रोल पम्प, नगर पालिका परिषद के नीचे गोपेश्वर (चमोली)	01372- 251486
6	उधमसिंह नगर	पुराना कोषागार भवन किच्छा बाइपास रोड आकांक्षा शोरूम के पास रुद्रपुर (उधमसिंह नगर)	05944-244807
7	नैनीताल	हरिनिवास मिडिल अयारपाटा मल्लीताल, नैनीताल। पिनकोड-263001	05942-237781
8	अल्मोड़ा	गोविन्द आश्रम, रानीधारा मार्ग अल्मोड़ा। पिनकोड-263601	05962-233886
9	पिथौरागढ़	उपाध्याय भवन, टकाना रोड पिथौरागढ़। पिनकोड-262522	05964-22857

परिशिष्ट ''ड.''

(प्रस्तर-7.1 में सन्दर्भित)

<u>सम्वर्ती सम्परीक्षा कार्यालय :-</u>

(1) सहायक निदेशक, गोबिन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पन्तनगर (सामान्य लेखा) कुमायूं।

(2) सहायक निदेशक, गोबिन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पन्तनगर (फार्म लेखा) कुमायूं।

(3) सहायक निदेशक, हेमवती नन्दन बहुगुणा विश्वविद्यालय श्रीनगर (गढवाल)।

<u>राज्य स्तरीय कार्यालय :-</u>

(1) लेखा परीक्षा अधिकारी, वन विकास निगम नरेन्द्रनगर (अस्थायी मुख्यालय, देहरादून)।

(2) लेखा परीक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी परिषद उधमसिंह नगर।

परिशिष्ट ''च''

(प्रस्तर-10.1.1(ख) में सन्दर्भित)

लेखेवार अनिस्तारित आपत्तियों का विवरण

क्र०सं०	संस्थाओं का नाम	01 अप्रैल, 06 को प्रा०शेष	वर्ष में आरोपित	योग	वर्ष में निस्तारण	31 मार्च, 07 को अवशेष
1	नगर निगम	5715	0	5715	0	5715
2	नगर पालिकायें	14557	238	14795	306	14489
3	नगर पंचायतें	4500	245	4745	113	4632
4	शिक्षण संस्थायें	15560	208	15768	02	15766
5	कृषि उत्पादन मण्डी समितियॉ	1227	89	1316	37	1279
6	उत्तराखण्ड राज्य कृ० उ० मण्डी परिषद	179	0	179	0	179
7	क्षेत्र पंचायतें	2238	0	2238	0	2238
8	चैकित्सिक संस्थायें	552	8	560	0	560
9	ट्रस्ट लेखे	188	0	188	0	188
10	विविध लेखे	5388	29	5417	96	5321
11	बेसिक शिक्षा समितियॉ	5007	0	5007	0	5007
12	महाविद्यालय	3878	0	3878	0	3878
13	विकास प्राधिकरण	1477	0	1477	0	1477
14	मन्दिर समितियॉ	331	0	331	0	331
15	म्यूनिनिस्पल फारेस्ट	278	0	278	0	278
16	जिला नगरीय विकास अभिकरण	531	0	531	0	531
17	पालिटेक्निक संस्थायें	245	0	245	0	245
18	इन्जीनियरिंग कालेज	640	0	640	0	640
19	विश्वविद्यालय					
	(क) कुमाऊं विश्वविद्यालय	1236	0	1236	0	1236
	(ख) गढ़वाल विश्वविद्यालय	2895	279	3174	99	3075
20	कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय					
	(क) सामान्य लेखा	1938	06	1944	133	1811
	(ख) फार्म लेखा	1964	0	1964	0	1964
	योग	70524	1102	71626	786	70840

परिशिष्ट ''छ''

प्रान्तीय न्यासों की सूची

(प्रस्तर-11.1 में सन्दर्भित)

1- तारक जयन्ती, गोल्ड मेडल एण्डाउमेंट ट्रस्ट, अल्मोड़ा।
2- पं० ईश्वरी दत्त जोशी, स्कालरशिप एण्डाउमेंट फण्ड, अल्मोड़ा।
3- पदमा जोशी फण्ड, अल्मोड़ा।
4- लक्ष्मी देवी मैडल एण्डाउमेंट ट्रस्ट, अल्मोड़ा।
5- हरिनन्दन पुनेठा स्कालरशिप एण्डाउमेंट ट्रस्ट, चम्पावत।
6- विक्ट्रो मेमोरियल एक्स सोल्जर्स वेनीवोलेंट फण्ड, अल्मोड़ा।
7- नार्थ वेस्टर्न रेलवे स्कूल ट्रस्ट फेयरलोन, मसूरी।
8- राजकृष्ण विद्यावती छात्रवृत्ति विन्यास न्यास, देहरादून।
9- टी०सी० मुकर्जी, होम्योपैथिक डिस्पेंसनरी एण्ड हास्पिटल ट्रस्ट, देहरादून।
10- स्टावेल मैमोरियल एण्डाउमेंट ट्रस्ट, गढ़वाल।
11- गढ़वाल सेनिटनरी स्कालरशिप एण्डाउमेंट ट्रस्ट, गढ़वाल।
12- आर० मिस्टिस डे एण्डाउमेंट ट्रस्ट यू०पी०, गढ़वाल।
13- गढ़वाल क्ले मैमोरियल स्कालरशिप एण्डाउमेंट ट्रस्ट, कर्णप्रयाग।
14- राय महावीर प्रसाद शाह बहादुर धर्मशाला एण्डाउमेंट ट्रस्ट, गढ़वाल।
15- चन्द्र बल्लभ मैमोरियल एण्डाउमेंट ट्रस्ट, गढ़वाल।
16- प० तारादत्त खण्डूरी, स्कारलशिप एण्डाउमेंट ट्रस्ट, गढ़वाल।
17- ठाकुर शालिग्राम सिंह परमार स्कालरशिप एण्डाउमेंट ट्रस्ट, गढ़वाल।
18- गोविन्द पाठशाला एण्डाउमेंट ट्रस्ट फण्ड।
19- विक्ट्री मैमोरियल गढ़वाली एक्स सिर्विसेजर वेनीबोलेंट फण्ड।
20- श्रीमती सुशीला काला छात्रवृत्ति न्यास, रुद्रप्रयाग।
21- कुमाऊं एण्ड भांवर कल्टिवेटर्स ट्रस्ट फण्ड, नैनीताल।
22- बच्चा सीडसइण्डिजेण्ट पापर ट्रस्ट फण्ड, हल्द्वानी।
23- रैमजे हास्पिटल ट्रस्ट, नैनीताल।
24- बांकेलाल बनवारी लाल हुण्डीवाले स्कालरशिप एण्डाउमेंट ट्रस्ट, नैनीताल।
25- राधेहरि स्कालरशिप एण्डाउमेंट ट्रस्ट, उधमसिंह नगर।
26- लाला चेतराम शाह ठुलगरिया एजुकेशन एण्डाउमेंट ट्रस्ट फण्ड।
27- राय साहब पं० नारायण दत्त एवं देवीदत्त चिमवाल स्कारशिप एण्डाउमेंट ट्रस्ट फण्ड।
28- श्री संकट मोचन हनुमान मन्दिर हनुमानगढ़, नैनीताल।
29- श्री कैंची हनुमान तथा आश्रम ट्रस्ट, नैनीताल।

30- टामसन कालेज टेस्टोमोनियल फण्ड एण्डाउमेंट, रुड़की।
31- विजयानगरम् स्कालरशिप इन टामस इंजीनियरिंग कालेज।
32- फ़ेयरलो मैमोरियल फण्ड।
33- कैलकाट रैलो मैमोरियल फण्ड।
34- सुल्लीवान स्कालरशिप एण्ड मेडल एण्डाउमेंट ट्रस्ट।
35- जनरल अप्रैंटिस फण्ड, रुड़की वर्कशाप।
36- बैजनाथ स्कालरशिप फण्ड।
37- फ्रांसिस शैमियर स्कालरशिप फण्ड।
38- गंगादेवी स्कालरशिप एण्डाउमेंट।
39- सुशीला एण्ड जे मित्रा मैमोरियल सिल्वर मेडल फण्ड।
40- सदर डिस्पेंसरी फण्ड, रुड़की।
41- रामचन्द्र स्कालरशिप एण्डाउमेंट ट्रस्ट।
42- गवर्नमेन्ट आरमन शैमियर हाईस्कूल ट्रस्ट फण्ड।
43- लाला पूरनमल सिल्वर मेडल एण्डाउमेंट ट्रस्ट फण्ड।
44- शीलप्रिया मैमोरियल (स्वीमिंग) ट्रस्ट।
45- श्रीमती सरस्वती विष्ट स्कालरशिप एण्डाउमेंट फण्ड, अल्मोड़ा।
46- गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सालय ट्रस्ट, देहरादून।

<u>केन्द्रीय न्यासों की सूची</u>

(1) गढ़वाल क्षेत्रीय शिक्षा न्यास निधि।

परिशिष्ट''ज''

(कार्यकारी खण्ड में सन्दर्भित)

नगर पालिका परिषदें

क्र० सं०	लेखे का नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमितताऐं	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	अस्थायी अग्रिम	दुर्विनियोग के प्रकरण	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	नगर पालिका परिषद रूद्रपुर	2006-07	0	420888.00	0	0	130303.00	0	0	0	551191.00
2	नगर पालिका परिषद खरीमा	2003-04 से 2005-06	0	1208402.00	0	0	1199560.00	362406.00	0	0	2770368.00
3	नगर पालिका परिषद खटीमा	2006-07	0	736294.00	0	0	915080.00	0	0	0	1651374.00
4	नगर पालिका परिषद जसपुर	2005-07	0	1558438.00	0	0	163105.00	0	0	0	1721543.00
5	नगर पालिका परिषद गदरपुर	2005-06	0	458594.00	0	0	26000.00	50272.00	0	0	534866.00
6	नगर पालिका परिषद काशीपुर	2004-05 से 2005-06	0	236233.00	0	0	0	0	0	0	236233.00
7	नगर पालिका परिषद पिथैरागढ	2006-07	0	0	0	0	83241.00	0	482442.00	0	565683.00
8	नगर पालिका परिषद अल्मोडा	2005-06	0	1235317.00	0	0	0	0	0	0	1235317.00
9	नगर पालिका परिषद नरेन्द्र नगर	2006-07	0	129829.00	0	0	23425.00	0	0	0	153254.00
10	नगर पालिका परिषद श्रीनगर	2006-07	0	0	0	0	16800.00	4805.00	0	0	21605.00
11	नगर पालिका परिषद रूद्रप्रयाग	2006-07	0	0	0	365536.00	0	0	0	0	365536.00
12	नगर पालिका परिषद गोपेश्वर	2006-07	0	422560.00			288417.00	0	0	0	710977.00
13	नगर पालिका परिषद जोशीमठ	2006-07	0	122904.00	0	0	0	0	0	0	122904.00
	योग	-	**0**	**6529459.00**	**0**	**365536.00**	**2845931.00**	**417483.00**	**482442.00**	**0**	**10640851.00**

नगर पंचायतें

क्र० सं०	लेखे का नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमिततायें	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	अस्थायी अग्रिम	दुर्विनियोग के प्रकरण	अनानुमोदित /विविध अनियमिततायें	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	नगर पंचायत हरबर्टपुर	2006-07	22000.00	5026166.00	0	0	0	93176.00	0	0	0	5141342.00
2	नगर पंचायत महुआडाबरा	2005-06	1500.00	0	0	129408.00	387000.00	0	0	0	0	517908.00
3	नगर पंचायत चम्पावत	2006-07	0	0	0	0	0	232320.00	0	0	0	232320.00
4	नगर पंचायत धारचूला	2006-07	0	26568.00	0	0	0	0	0	0	0	26568.00
5	नगर पंचायत डीडीहाट	2006-07	1020.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1020.00
6	नगर पंचायत बड़कोट	2006-07	0	42163.00	173564.00	0	0	0	0	0	0	215727.00
7	नगर पंचायत गौचर	2006-07	0	0	52088.00	0	0	0	0	0	0	52088.00
8	नगर पंचायत गंगोत्री	2006-07	0	5612.00	0	0	0	0	0	0	0	5612.00
9	नगर पंचायत चम्बा	2006-07	0	105250.00	0	0	0	0	0	0	0	105250.00
10	नगर पंचायत लढीर	2006-07	0	0	11500.00	0	0	39750.00	0	0	0	51250.00
11	नगर पंचायत कीर्तिनगर	2006-07	0	25200.00	8200.00	0	0	0	0	0	0	33400.00
12	नगर पंचायत कालीढुंगी	2002 से 2006-07	0	2342772.00	0	0	0	97585.00	0	0	0	2440397.00
13	नगर पंचायत लक्सर	2006-07	0	0	0	0	0	40895.00	0	0	0	40895.00
14	नगर पंचायत दिनेश पुर	2005-06	0	124287.00	0	0	292800.00	60020.00	0	0	0	477107.00
	योग	-	24520.00	7698018.00	245352.00	129408.00	679800.00	563746.00	0	0	0	9340844.00

कृषि उत्पादन मण्डी समिति

क्र० सं०	लेखे का नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमितायें	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	अस्थायी अग्रिम	दुर्विनियोग के प्रकरण	अनानुमोदित /विविध अनियमि_ तायें	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	कृषि उत्पादन मण्डी समिति बाजपुर	2006-07	0	0	0	0	227922.00	0	0	0	0	227922.00
2	कृषि उत्पादन मण्डी समिति सितारगंज	2006-07	0	0	0	0	72564.00	0	0	0	0	72564.00
3	कृषि उत्पादन मण्डी समिति ज्वाला पुर	2006-07	0	0	0	0	10575.00	0	0	0	0	10575.00
4	कृषि उत्पादन मण्डी समिति काशीपुर	2005-06	0	50480.00	0	0	46900.00	0	0	0	0	97380.00
5	कृषि उत्पादन मण्डी गदर पुर	2006-07	0	0	0	0	1512574.00	0	0	0	0	1512574.00
6	कृषि उत्पादन मण्डी समिति रूद्रपुर	2006-07	0	0	0	0	846282.00	0	0	0	0	846282.00
7	कृषि उत्पादन मण्डी समिति जसपुर	2005-06 से 2006-07	0	0	0	0	95112.00	0	0	0	0	95112.00
8	कृषि उत्पादन मण्डी समिति खरीमा	2006-07	0	0	0	0	628787.00	0	0	0	0	628787.00
9	कृषि उत्पादन मण्डी समिति देहरादून	2006-07	0	0	6667.00	0	31891.00	48014.00	0	0	0	86572.00
10	कृषि उत्पादन मण्डी समिति विकासनगर	2006-07	0	2948.00	0	0	11650.00	0	0	0	0	14598.00
	योग	-	**0**	**53428.00**	**6667.00**	**0**	**3484257.00**	**48014.00**	**0**	**0**	**0**	**3592366.00**

विश्वविद्यालय

क्र० सं०	लेखे का नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमिततायें	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	अस्थायी अग्रिम	दुर्विनियोग के प्रकरण	अनानुमोदित /विविध अनियमि_ ततायें	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	हेमवती नन्दन बहुगुणा विश्वविद्यालय श्रीनगर (गढ़वाल)	2004-05	0	558793.00	187039.00	0	2577681.00	202185.00	3048782.00	1666800.00	4255827.00	12497107.00
2	उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी	2005-06	0	5344003.00	4982445.00	0	0	0	0	0	0	10326448.00
	योग	-	0	5902796.00	5169484.00	0	2577681.00	202185.00	3048782.00	1666800.00	4255827.00	22823555.00

महिला आयोग

क्र० सं०	लेखे का नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमिततायें	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	अस्थायी अग्रिम	दुर्विनियोग के प्रकरण	अनानुमोदित /विविध अनियमि_ ततायें	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	राज्य महिला आयोग	2003-04 से 2006-07	431355.00	576948.00	0	0	58385.00	0	448000.00	132293.00	0	1646981.00
	योग	-	431355.00	576948.00	0	0	58385.00	0	448000.00	132293.00	0	1646981.00

शिक्षण संस्थायें

क्र० सं०	लेखे का नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमिततायें	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	अस्थायी अग्रिम	दुर्विनियोग के प्रकरण	अनानुमोदित /विविध अनियमि_ ततायें	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	केवल कन्या इन्टरकालेज मंगलौर	2006-07	0	0	0	0	6171.00	39750.00	0	0	0	45921.00
2	पूर्णा नन्द इन्टर कालेज मुनिकीरोनी	2004-05	0	0	72631.00	0	109015.00	0	0	0	0	181646.00
	योग	-	0	0	72631.00	0	115186.00	39750.00	0	0	0	227567.00

मन्दिर समितियाँ

क्र० सं०	लेखे का नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमिततायें	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	अस्थायी अग्रिम	दुर्विनियोग के प्रकरण	अनानुमोदित /विविध अनियमि_ ततायें	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	गंगोत्री मन्दिर समितियों उत्तरकाशी	2006-07	0	0	0	0	8322.00	0	0	0	0	8322.00
	योग	-	0	0	0	0	8322.00	0	0	0	0	8322.00

सारांश

क्र० सं०	लेखे का नाम	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमिततायें	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	अस्थायी अग्रिम	दुर्विनियोग के प्रकरण	अनानुमोदित /विविध अनियमि_ ततायें	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	नगर पालिका परिषदें	0	6529459.00	0	365536.00	2845931.00	417483.00	482442.00	0	0	10640851.00
2	नगर पंचायतें	24520.00	7698018.00	245352.00	129408.00	679800.00	563746.00	0	0	0	9340844.00
3	कृषि उत्पादन मण्डी समितियाँ	0	53428.00	6667.00	0	3484257.00	48014.00	0	0	0	3592366.00
4	विश्वविद्यालय सम्वर्ती सम्परीक्षा	0	5902796.00	5169484.00	0	2577681.00	202185.00	3048782.00	1666800.00	4255827.00	22823555.00
5	महिला आयोग	431355.00	576948.00	0	0	58385.00	0	448000.00	132293.00	0	1646981.00
6	शिक्षण संस्थायें	0	0	72631.00	0	115186.00	39750.00	0	0	0	227567.00
7	मन्दिर समिति	0	0	0	0	8322.00	0	0	0	0	8322.00
	योग	455875.00	20760649.00	5494134.00	494944.00	9769562.00	1271178.00	3979224.00	1799093.00	4255827.00	48280486.00

वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

भाग–2

(सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें)

वर्ष

2007–2008

प्रतिवेदक : निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं सह-स्टेट इण्टरनल आडिटर, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

भाग-2

(सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें)

(1)-प्रशासनिक खण्ड

क्र०सं०	विवरण	कण्डिका	पृष्ठ संख्या
1-	विभागीय प्राधिकार के श्रोत	2.1	1
2-	सम्प्रेक्षाधीन लेखे	3.1-3.2	1
3-	सम्परीक्षा के सोपान तथा तत्सम्बन्धी कार्य	4.1-4.2	2-3
4-	प्रभागीय आय-व्ययक	5.1 से 5.3	3-4
5-	विभागीय आय एवं व्यय का समन्वय	6.1 से 6.2	4
6-	विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था	7.1-7.3	4-5
7-	प्रभाग की जनशक्ति	8	5
8-	सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा वर्ष 2007-08 में सम्पादित सम्परीक्षा कार्य	9	5-6
9-	सम्परीक्षा में उद्घाटित अनियमिततायें	10.1.1	6
10-	विशेष सम्परीक्षायें	10.1.2	6
11-	सम्परीक्षा शुल्क की स्थिति	10.2.1 से 2.2	6-7
12-	निष्कर्ष	11	7
(2)- कार्यकारी खण्ड		-	8-32
(3)-परिशिष्ट,क,ख,ग,घ व अन्य		-	33-48

प्रशासनिक खण्ड

1- उत्तराखण्ड सहकारिता अधिनियम 2003 की धारा 64 एवं उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 40 के अधीन सहकारी एवं पंचायती राज संस्थाओं की लेखा परीक्षा इस विभाग के सहकारी समितियां एवं पंचायतें लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा सम्पादित की जाती हैं। वित्तीय वर्ष 2007-08 में सम्पादित लेखा परीक्षा के आधार पर वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2007-08 विधान सभा के पटल पर रखने हेतु प्रस्तुत है।

2- विभागीय प्राधिकार के स्रोत :-

2.1 उत्तराखण्ड सहकारिता अधिनियम 2003 की धारा 64 तथा उत्तराखण्ड सहकारी समिति नियमावली 2004 के नियम संख्या 223 से 242 के अन्तर्गत सहकारी संस्थाओं की लेखा परीक्षा प्रत्येक सहकारी वर्ष में एक बार कराये जाने का प्राविधान है। इसी प्रकार उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 40 तथा पंचायत राज नियमावली 1956 के नियम 186, 187 व 188 में ग्राम सभा, न्याय पंचायतों की लेखा परीक्षा कराने का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त उ०प्र० जिला परिषद तथा क्षेत्र समिति (बजट तथा सामान्य लेखा) (संशोधन) नियमावली 1999 के नियम 2 के अनुसार जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत की लेखा परीक्षा सहकारी समितियां एवं पंचायते प्रभाग द्वारा सम्पन्न कराये जाने की व्यवस्था है। सहकारी एवं पंचायती राज संस्थाओं की लेखा-परीक्षा उन पर लागू अधिनियमों, नियमावलियों एवं सहकारिता विभाग, पंचायत राज विभाग तथा नाबार्ड द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आधार पर की जाती है।

3- सम्परीक्षाधीन लेखे -

3.1 वर्ष 2007-08 में सम्परीक्षाधीन सहकारी संस्थाओं की संख्या 2543 और पंचायत राज संस्थाओं की संख्या 7391 थी। संस्थाओं के विवरण संलग्न **परिशिष्ट "क" भाग "एक"** में दिये गये है।

3.2 सम्परीक्षाधीन सहकारी एवं पंचायत संस्थाओं के संगत अधिनियमों आदि जिनके आधार पर सम्परीक्षा की गयी है, की सूची **परिशिष्ट "ख"** में दी गयी है।

4- सम्परीक्षा के सोपान तथा तत्सम्बन्धी कार्य –

4.1 सम्परीक्षा का कार्य संस्था के वित्तीय अनुशासन से जुडे सभी पहलुओं की समीक्षा का एक गुरुत्तर दायित्व है। राज्य की सहकारी संस्थाओं के वार्षिक सन्तुलन पत्रों की जांच एवं प्रमाणीकरण के साथ-साथ लेखा परीक्षा इस दृष्टिकोण से भी की जाती हैं कि संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति में कितनी सफल रही हैं और संस्था का सामान्य प्रशासन अधिनियम, नियमावली, उपविधियों एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी राजाज्ञाओं तथा परिपत्रों के अनुसार ही संचालित किया जा रहा है। संस्थाओं की आर्थिक एवं सामान्य प्रशासन की स्थिति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड/निबन्धक, सहकारी समितियॉ द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार संस्थाओं का वर्गीकरण भी किया जाता है।

इसी प्रकार पंचायत राज संस्थाओं को दिये गये वित्तीय अनुदान आदि का उपभोग शासन द्वारा जारी निर्देशों/मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुरुप किया गया हैं अथवा नही और इन संस्थाओं की स्थापना सम्बन्धी विशिष्ट अधिनियमों में अपेक्षित जन आकांक्षाओं की पूर्ति इनके द्वारा की जा रही हैं अथवा नहीं, इसकी समीक्षा भी लेखा परीक्षा में की जाती है।

4-2 सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा प्रभाग के कार्यकलाप:

1- सम्परीक्षाधीन सहकारी समितियों व पंचायत राज संस्थाओं के विविध लेखाओं की नियमित सम्परीक्षा करना एवं परिणाम से संस्थाओं एवं शासन को सूचित करना।

2- उपर्युक्त संस्थाओं का वित्तीय मार्ग दर्शन करना।

3- सम्परीक्षा के उपरान्त यथा आवश्यक अनुदानों के उपभोग से सम्बन्धित उपभोग प्रमाण पत्र निर्गत करना।

4- सम्परीक्षित संस्थाओं (पंचायत संस्थाओं के अतिरिक्त) के वार्षिक आय-व्यय, रोकड पत्र एवं लाभ-हानि खाता का प्रमाणीकरण एवं सन्तुलन पत्र के अपवादों को लेखांकित करना।

5- भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड द्वारा जारी मापदण्डों के अनुरुप सहकारी संस्थाओं को उनके कार्य परिणाम के आधार पर वर्गीकृत करना।

6- सहकारी संस्थाओं में नाबार्ड तथा भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुरुप अशोध्य व संदिग्ध परिसम्पत्तियों का आंकलन करना।

7- विभाग के नवनियुक्त लेखा परीक्षकों को आधारभूत प्रशिक्षण तथा विभागीय अधिकारियों एवं लेखा परीक्षा कर्मियों को अल्पकालिक प्रशिक्षण देना एवं प्रत्यास्मरण प्रशिक्षण आयोजित करना।

8- सम्परीक्षाधीन लेखाओं पर नियमानुसार सम्परीक्षा शुल्क आरोपित करना तथा उसे राजकीय कोषागार में जमा कराना।

9- सम्परीक्षाधीन सहकारी एवं पंचायत प्राधिकारियों के अधिनियम, नियमावली एवं उपविधियों के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत क्षति, कपट, दुरुपयोग आदि के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध अधिभार कार्यवाही हेतु सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग को विशेष प्रतिवेदन निर्गत करना।

10- उपर्युक्त सहकारी एवं पंचायत संस्थाओं एवं शासन द्वारा सौंपे गये अन्य लेखाओं की आवश्यकतानुसार विशेष सम्परीक्षा सम्पादित करना।

11- शासन द्वारा सौंपे गये अन्य कार्यो पर निर्देशानुसार कार्यवाही करना।

5- प्रभागीय आय-व्ययक:-

5.1- यह प्रभाग उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के अधीन हैं और इस प्रभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी सरकारी सेवक है।

5.2- इस प्रभाग की समस्त प्राप्तियाँ प्रादेशिक राजकोष में जमा होती हैं तथा विधान मण्डल द्वारा स्वीकृत प्रादेशिक बजट से, राज्य निधि से विभागीय व्यय हेतु धनराशि प्राप्त होती है।

5.3- लेखा परीक्षा शुल्क विभागीय आय का मुख्य व वर्तमान समय में नाम मात्र स्रोत है। सम्परीक्षा समाप्ति के उपरान्त सम्परीक्षा शुल्क का आरोपण शासन द्वारा निर्धारित दरों पर किया जाता हैं जो सम्परीक्षित संस्था द्वारा राजकोष में जमा किया जाता है। वर्तमान में पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित सम्परीक्षा शुल्क की दरें (**परिशिष्ट 'ग'**) उत्तराखण्ड राज्य में भी लागू है।

6- विभागीय आय एवं व्यय का समन्वय:-

वित्तीय वर्ष 2007-08 में विभागीय व्यय एवं इस वर्ष में अवधारित सम्परीक्षा शुल्क की स्थिति निम्नवत् हैं:-

क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	व्यय (रूपये)	आरोपित सम्परीक्षा शुल्क (रू०)
1-	2007-08	28706113.00	5664278.00

6.1- सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा कृत कार्य सेवा प्रकृति के हैं जिन पर होने वाले व्यय की तुलना आरोपित शुल्क से नहीं की जा सकती है।

7-1 विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था:-

उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शा०सं० 5058/ वि०शा०स०/ 2001 दिनांक 19 जून, 2001 द्वारा सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा प्रभाग निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह-स्टेट इण्टरनल आडिटर, उत्तराखण्ड के नियन्त्रणाधीन कार्यरत हैं जिसकी प्रशासनिक व्यवस्था मुख्यत: द्वि-स्तरीय है:-

(1) **मुख्यालय स्तरीय।**
(2) **जिला स्तरीय।**

जनपदीय कार्यालयों की सूची **परिशिष्ट "घ"** में दी गयी है। उक्त के अतिरिक्त सम्वर्ती सम्परीक्षा कार्यालय भी हैं जिन पर प्रशासनिक नियन्त्रण निदेशालय द्वारा होता है। सम्वर्ती कार्यालयों की सूची **परिशिष्ट "घ-1"** में दी गयी हैं।

7.2-1- मुख्यालय स्तर:-

निदेशालय, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल आडिट 23- लक्ष्मी रोड डालनवाला देहरादून में स्थित है।

7.2-2- मुख्यालय पर निदेशक के सहयोगी के रुप में अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी तथा अन्य अधीनस्थ कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं जिसका विवरण प्रस्तर-8 में दिया गया है। जनपदों की प्रमुख संस्थाओं जैसे जिला सहकारी बैंक, जिला सहकारी दुग्ध संघ, जिला सहकारी संघ, केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार, सहकारी चीनी मिलें आदि के लेखाओं की लेखा परीक्षा के कार्य का पर्यवेक्षण, लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का अनुमोदन मुख्यालय पर कार्यरत अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

7.3- जनपद स्तरीय:-

लेखा परीक्षाधीन इकाईयां राज्य के शहरी क्षेत्र से लेकर सुदूर ग्रामीण अंचलों तक में स्थित है। सभी 13 जनपदों में सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा के जनपदीय कार्यालय हैं जिनमें कार्यालयाध्यक्ष जिला लेखा परीक्षा अधिकारी है। इनके अधीन नियुक्त सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, ज्येष्ठ लेखा परीक्षक ग्रेड-I, ज्येष्ठ लेखा परीक्षक व लेखा परीक्षक जनपदों में संस्थाओं की लेखा परीक्षा सम्पन्न करते है।

8- प्रभाग की जनशक्ति:-

वर्ष 2007-08 के अन्त में प्रभाग में श्रेणीवार स्वीकृत पदों एवं कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण निम्नवत् रहा है:-

क्र०सं०	अधिकारी/ कर्मचारी का समूह	स्वीकृत पद	कार्यरत सं०	रिक्त पद सं०
1-	समूह "क"	04	02	02
2-	समूह "ख"	18	11	07
3-	समूह "ग" :-			
	सहा०ले०प०अ०	35	34	01
	ज्ये०ले०परीक्षक ग्रेड-1	09	09	0
	ज्ये०ले०परीक्षक	221	34	187
	लेखा परीक्षक	55	14	41
	योग-लेखा परीक्षा कर्मी-	320	91	229
	लिपिक वर्ग	60	15	45
4-	समूह "घ"	35	11	24
-	योग	437	130	307

9- सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा वर्ष 2007-08 में सम्पादित सम्परीक्षा कार्य:-

वर्ष 2007-08 में लेखा परीक्षा कर्मियों के लगभग 70 प्रतिशत पदों के रिक्त रहने के उपरान्त भी सम्परीक्षाधीन 9934 लेखाओं में से 2272 चालू लेखों तथा 1743 अवशेष वर्षो के लेखाओं की सम्परीक्षा पूर्ण करायी गयी। सभी राज्य स्तरीय शीर्ष सहकारी संस्थाओं एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों, जिला सहकारी दुग्ध संघो की लेखा परीक्षा प्राथमिकता के आधार पर सम्पन्न की गयी है।

10.1-1- सम्परीक्षा में उदघाटित अनियमिततायें:-

(क) सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2007-08 में सम्परीक्षित लेखाओं में उदघाटित विशिष्ट अनियमितताओं के अन्तर्गत कुल रू० 45274431.42 की धनराशि अन्तर्निहित थी जिसका संस्थावार/शीर्षकवार विवरण निम्नानुसार है:-

क्रमांक	शीर्षक	धनराशि
1-	व्यपहरण	5316027.20
2-	अनियमित/अधिक भुगतान	6123812.00
3-	आर्थिक क्षति	1109258.90
4-	राजस्व हानि	0
5-	विविध अनियमितताये	32725333.32
	योग	45274431.42

10.1-2- विशेष सम्परीक्षा प्रतिवेदन:-

लेखा परीक्षित संस्थाओं में गबन/दुर्विनियोग/आर्थिक क्षति/गम्भीर अनियमितता से सम्बन्धित प्रकरणों के सम्बन्ध में विशेष लेखा परीक्षा प्रतिवेदन नियमावली के नियम 233 के अनुसार निर्गत किये जाते हैं। वर्ष 2007-08 के दौरान वैधनाथन कमेटी की संस्तुति को प्रदेश में लागू किये जाने के लिए पैक्स (प्रारम्भिक सहकारी कृषि ऋण समितियों) की विशेष लेखा परीक्षा भी शासन व नाबार्ड के निर्देशानुसार की गयी, जिसमें कि पैक्स समितियों का एन०पी०ए० का आंकलन किया गया।

10.2-1- सम्परीक्षा शुल्क की स्थिति :-

वर्ष 2007-08 में आरोपित एवं वसूल किये गये सम्परीक्षा शुल्क की स्थिति निम्नवत् थी:-

01 अप्रैल, 2007 को प्रारम्भिक शेष रू०	72,39,337.00
वर्ष में स्थापित मांग रू०	(+) 56,64,278.00
योग रू० -	1,29,03,615.00
वर्ष में समाहरण रू० –	(-) 57,06,595.00
31 मार्च, 2007 को बकाया रू० -	71,97,020.00

10.2-2- उपर्युक्तानुसार वर्ष 2007-08 में पूर्ववर्ती वर्षो सहित अवधारित लेखा परीक्षा शुल्क रु० 1,29,03,615.00 में से दिनांक 31 मार्च, 2008 तक कुल रू० 57,06,595.00 सहकारी एवं पंचायत संस्थाओं द्वारा राजकीय कोषागार में जमा कराया गया हैं।

11- निष्कर्ष:-

वर्ष 2007-08 में 2543 सहकारी संस्थाओं 7391 पंचायतराज संस्थाओं की लेखा परीक्षा की जानी थी। सहवर्ग की कमी के कारण बैंकिंग रेगुलेशन ऐक्ट व आयकर की धारा 44 ए०बी० में आने वाली संस्थाओं को वरीयता देते हुए 913 सहकारिता एवं 1359 पंचायतों की लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी। आलोच्य वर्ष में सम्परीक्षित संस्थाओं की सम्परीक्षा आख्याओं के आधार पर पूर्वोक्त कण्डिका 10 (1) में वर्णित रुपये 45274431.42 की वित्तीय अनियमितताऐं प्रकाश में आयीं जिनमें व्यपहरण दुर्निवियोग, अधिक एवं अनियमित भुगतान, आर्थिक क्षति आदि के प्रकरण समाविष्ट है।

राजेन्द्र प्रसाद पसबोला,
अपर निदेशक
कृते निदेशक

उप निदेशक
सहकारी समितियां एवं पंचायतें
निदेशालय, कोषागार एवं वित्त सेवाऐं
उत्तराखण्ड, देहरादून

कार्यकारी खण्ड

सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा प्रभाग, उत्तराखण्ड

(वित्तीय वर्ष 2007-08)

वर्ष 2007-08 में जिन संस्थाओं की सम्परीक्षा सम्पादित की गयी, उनमें उदघाटित वित्तीय अनियमितताओं से सम्बन्धित महत्वपूर्ण प्रकरण अनुवर्ती पृष्ठों तथा सम्बन्धित संस्थाओं के खण्ड में दिये जा रहे है।

सहकारी एवं पंचायत संस्थाओं का श्रेणीवार विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र०सं०	लेखे की श्रेणी	अनियमितता में अन्तर्निहित धनराशि
1-	उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि०	18717978.00
2-	जिला सहकारी बैंक लि०	8349069.00
3-	अरबन कोआपरेटिव बैंक लि०	635974.00
4-	जिला सहकारी संघ एवं केन्दीय उपभोक्ता भण्डार	873895.71
5-	किसान सेवा/दीर्घा०/साधन समितियॉ	1124191.57
6-	दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०/समितियॉ	11202181.74
7-	सोयाबीन एवं वनस्पति उद्योग हल्दूचौड हल्द्वानी	274520.90
8-	विशिष्ट समितियॉ	21805.00
9-	ग्राम पंचायतें	4074815.50
-	योग	45274431.42

विस्तृत विवरण परिशिष्ट "ड" में दिया गया है।

:: वर्ष 2007-08 में सम्पन्न विशेष सम्परीक्षाऐं ::

उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0

(वर्ष 2006-07)

अधिक/अनियमित भुगतान:-

1- प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त हो जाने के उपरान्त भी प्रति नियुक्ति भत्ता रू0 6000.00 का अनियमित भुगतान किया गया।

आर्थिक क्षति:-

2- बचत खाता सं0 87 में रू0 171975.00 का ओवर ड्राफ्ट दिया जाना अनियमित था।

विविध अनियमिततायें:-

3- आयकर का अन्तिम निर्धारण कराये बिना ही रू0 11842710.00 की राशि को पी0/एल0 खाते में डाला गया है।

4- लाभ वितरण करते हुये रक्षित कोष में रू0 6697293.00 कम डाला गया नियमानुसार 25 प्रतिशत अर्थात् रू0 7202513.00 डाला जाना चाहिये था।

जिला सहकारी बैंक लि०, पिथौरागढ

(वर्ष 2006-07)

व्यपहरण:-

1- शाखा प्रबन्धक खेतीखान (चम्पावत) श्री गगन चन्द्र पुनेडा के कैश क्रडिट खाते में आहरित धनराशियां रू0 49094.00 का लेखाकन कैश क्रेडिट खाते में न करते हुए रू0 49094.00 का व्यपहरण किया गया।

2- शाखा खेतीखान में खाताधारको के बचत खातों से श्री गगन चन्द्र पुनेडा शाखा प्रबन्धक द्वारा अनियमित आहरण कर दिनांक 24-07-2006 से 28-07-2006 तक तथा 24-08-2006 से 26-08-2006 तक 19 आहरण पत्रों द्वारा रू0 1832000.00 का व्यपहरण किया गया।

3- शाखा खेतीखान में दिनांक 23-08-2006 से 24-08-2006 एवं 31-08-2006 को तीन बचत खातेदारों की जमा राशि रू0 200000.00 का लेखांकन कैश बुक एवं खातों में न कर धन का अपहरण किया गया है।

4- शाखा गनाई के 21 आवर्ती खातों में जमा का लेखांकन किया गया है जबकि डे बुक /कैश बुक में जमा की प्रविष्टियाँ नहीं थी, इस प्रकार रू0 43900.00 का अपहरण किया गया है।

5- शाखा गनाई द्वारा यू0को0 बैंक देहली को निर्गत चैक का भुगतान यू0को0 बैंक द्वारा दिनांक 08-04-2006 को किया गया परन्तु उक्त रू0 1000.00 का लेखा शाखा डे बुक/कैश बुक में नहीं रहा है।

आर्थिक क्षति:-

6- बैंक मुख्यालय पिथौरागढ द्वारा विभागीय स्वीकृति एवं निविदा प्राप्त किये मैसर्स मेगा इन्फोरमेशन सिस्टम पुणे द्वारा शाखाओं में कम्प्यूटीकरण का कार्य कराया गया। मेगा इन्फोरमेशन सिस्टम के निर्माण कम्पनी होने के साक्ष्य नहीं रहे है। उक्त फर्म द्वारा साफ्टवेयर निशुल्क उपलब्ध (नैनीताल बैंक की भाँति) न कराकर प्रतिशाखा रू0 1,90,000.00 साफ्टवेयर का भुगतान प्राप्त किया है। इस प्रकार 04 शाखाओं हेतु रू0 760000.00 से अधिक भुगतान अनियमित रहा ।

विविध अनियमिततायें:-

7- बैंक प्रशासन द्वारा स्वीकृति से अधिक क्षमता एवं बिना निविदा के 05 के0वी0 के स्थान पर 7.5 के0वी0 15 जनरेटर क्रय करने के कारण रू0 70310.00 की क्षति बैंक को हुयी है।

8- सुरक्षा अलार्म क्रय हेतु विभागीय स्वीकृति से अधिक रू0 76308.00 का भुगतान किया गया था।

9- करेन्सी काउन्टिग मशीन हेतु रू0 1.96 लाख की विभागीय स्वीकृति के विरूद्ध रू0 368050.00 का भुगतान किया गया था।

10- मुख्यालय द्वारा इन्टरकॉम कार्य हेतु मैसर्स राज टैलिकम्प्यूनिकेशन पिथौरागढ को बिना विभागीय स्वीकृति के रू0 20365.00 का भुगतान किया गया।

11- निबन्धक परिपत्र सी-52/09-01-75 के निर्देशों की अवेहलना करते हुए वसूली अभियान के अतिरिक्त वाहन उपयोग पर रू0 20910.00 तथा जनपद से बाहर की यात्रा पर रू0 11512.00 का व्यय किया गया। इस प्रकार रू0 32422.00 का अधिक व्यय किया गया।

नैनीताल जिला सहकारी बैंक लि० हल्द्वानी

(वर्ष 2006-07)

अधिक/अनियमित भुगतान:-

1- बैक अधिकारियों/कर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर भी उन्हें बोनस अनुग्रह राशि व लेखा बन्दी भत्ता रू0 16800.00 का अनियमित भुगतान किया गया।

2- प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जाने वाली राशियॉ का एरियर संशोधित वेतनमान के आधार पर अनियमिति रूप से रू0 31269.00 का भुगतान किया गया।

3- निबन्धक के स्वीकृति बिना ही आलोच्य अवधि में रू0 1710877.00 लेखा बन्दी भत्ता तथा रू0 3332674.00 अनुग्रह राशि का बैक कर्मचारियों/अधिकारियों को भुगतान अनियमित रूप से किया गया।

दून वैली अरवन को-आपरेटिव (एस0सी0एस0टी0) बैक लि0 देहरादून।

(वर्ष 2005-06)

अधिक/अनियमित भुगतान:-

1- अनादृत चैक धनराशि रू0 2,00,000.00 व 1,50,000.00 चैक संग्रहण से पूर्व भुगतान किया जाना अनियमित रहा।

2- अनादृत चैक संग्रहण से पूर्व भुगतान राशियों पर रू0 56250.00 ब्याज की धनराशि की वसूली न किया जाना अनियमित रहा।

गढवाल को-आपरेटिव बैक लि0 ऋषिकेश।

(वर्ष 2004-05)

विविध अनियमिततायें:-

1- असुरक्षित ऋण (सी0सी0लिमिट) रू0 229724.00 का दिया जाना तथा वसूली न किया जाना अनियमित रहा।

जिला सहकारी संघ लि0 देहरादून।

(वर्ष 2004-05 से 2005-06)

व्यपहरण:-

1- चीनी बिक्री का धन रू0 405.00 कम जमा कर व्यपहरण किया गया।

अधिक/अनियमित भुगतान:-

2- भवन बाद की अपील सवोच्च न्यायालय दिल्ली में वकील की फीस रू0 30500.00 का भुगतान बिना प्रमाणक के व्यय किया जाना अनियमित रहा।

विविध अनियमितताये:-

3- कर्मचारियों से विगत कई वर्षों का विविध पावना धनराशि रू0 212724.31 की वसूली न किया जाना अनियमित रहा।

जिला केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भण्डार लि0 उत्तरकाशी।

(वर्ष 1987-88 से 2002-03)

व्यपहरण:-

1- जलपान व्ययों का बिना प्रमाणक समायोजन कर रू0 9524.00 का व्यपहरण किया गया।

2- दुकान मरम्मत पर बिना प्रमाणक व्यय दर्शित कर रू0 19102.00 का व्यपहरण किया गया।

3- विक्रेता का दायित्व कम दर्शाकर रू0 1466.95 का व्यपहरण किया गया।

4- बैक से आहरित राशि का अंकन कैश बुक में न कर रू0 4218.20 का व्यपहरण किया गया।

5- विक्रेता का दायित्व कम दर्शाकर रू0 17648.33 का व्यपहरण किया गया।

6- पार्टी को बिना प्रमाणक भुगतान दर्शाकर रू0 7443.00 का व्यपहरण किया गया।

7- यात्रा देयक का बिना प्रमाणक भुगतान दर्शाकर रू0 1684.00 का व्यपहरण किया गया।

8- जलपान में बिना प्रमाणक भुगतान रू0 3846.00 का व्यपहरण किया गया।

9- रू0 3000.00 से अधिक भुगतान दर्शित कर धन का व्यपहरण किया गया।

आर्थिक क्षति:-

10- बन्द पडी दुकान का किराया रू0 12305.00 का भुगतान करने से संस्था को क्षति हुई।

11- किरायादार की जमानत राशि का वापस न करने से कारण न्यायालय द्वारा एक पक्षीय निर्णय में रू0 4717.00 आर्थिक दण्ड देकर संस्था को क्षति पहुंचायी गयी ।

12- टेलीफोन बिल का समय से भुगतान न करने के फलस्वरूप भण्डार को रू0 1200.00 संग्रह व्यय का भुगतान करने से संस्था को क्षति हुई थी।

13- सेव व्यवसाय में अकुशल प्रबन्धन से भण्डार को रू0 83006.60 की क्षति हुई थी।

विविध अनियमिततायें:-

14- तत्कालीन सचिव द्वारा दिनांक 31-3-1997 से अप्रैल 2002 तक स्टॉक को अनियमित रूप से अपने पास रखने से कर भण्डार को रू0 90023.43 की हानि उठानी पडी।

15- निलम्बित कर्मचारी से अभिलेख चार्ज में प्राप्त नहीं किये गये तथा जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान किया गया। अभिलेख प्राप्त न होने से भण्डार पर माननीय न्यायालय द्वारा रू0 232016.40 का एक पक्षीय भुगतान आदेश पारित किया गया।

16- अनियमित रूप से विक्रेता को सेवा में रख कर बिना कार्य के कुल धनराशि रू0 139065.49 वेतन आदि का अनियमित भुगतान किया गया।

खूर्पाताल साधन सहकारी समिति लि0 नैनीताल

(वर्ष 2005-06)

व्यपहरण:-

1- धनराशि रू0 55444.00 आय को कैश बुक में दर्ज न कर सिर्फ खातों में अंकित कर व्यपहरण किया गया।

2- सदस्यों द्वारा बैक जमा ऋण धनराशि रू0 59295.00 को समिति कर्मियों द्वारा स्वयं जमा दर्शित कर कैश खारिज किया गया।

3- बैक से आहरित राशि रू0 8750.00 का कैश बुक में दर्ज न कर अपहरण किया गया।

4- अन्तरण प्रविष्टि को व्यय दर्शा कर रू0 609.00 का अपहरण किया गया था।

5- रू0 13114.65 की बिक्री आय में अंकित न कर व नाम डाल कर व्यपहरण किया गया।

रातीघाट साधन सहकारी समिति लि0 नैनीताल

(वर्ष 2005-06 से 2006-07)

व्यपहरण:-

1- रसीदों पर अंकित राशि से कम राशि कोषॉकित कर रू0 30197.00 का अपहरण किया गया।

2- प्रमाणक पर अंकित राशि से अधिक भुगतान खारिज कर रू0 23446.00 का अपहरण किया गया।

विविध अनियमिततायें:-

3- खाद व उपभोक्ता व्यवसाय में रू0 38076.35 अनावश्यक अपव्यय किया गया।

ओखल ढूँगा साधन सहकारी समिति लि0 नैनीताल:-

(वर्ष 2005-06 से 2006-07)

व्यपहरण:-

1- दिनांक 12-5-2006 मिनी बैक खाते दार के खाते में जमा रू0 1000.00 को कैश बुक में अंकित न कर अपहरण किया गया।

2- रसीद संख्या 3686/044 दिनांक 27-3-2007 से रू0 25875.00 वसूली को कैश बुक में 25375.00 अर्थात रू0 500.00 कम दर्ज कर अपहरण किया गया।

सूपी साधन सहकारी समिति लि0 नैनीताल:-

(वर्ष 2006-07)

अधिक/अनियमित भुगतान:-

1- सक्षम अधिकारी की स्वीकृति बिना ही किराये पर ली गयी गाडी का किराया व्यय रू0 2400.00 आहरित किया गया ।

2- शीत काल उपयोग हेतु रू0 3000.00 का अतिरिक्त कोयला क्रय का अनियमित भुगतान किया गया ।

लाखन मण्डी किसान सेवा सहकारी समिति लि0 नैनीताल:-

(वर्ष 2005-06 से 2006-07)

व्यपहरण:-

1- सन्तुलन पत्रानुसार रू0 3024.00 बारदाना स्टाक शेष था परन्तु स्टाक शून्य दर्शित कर धनराशि का अपहरण किया गया ।

अधिक/अनियमित भुगतान:-

2- दिनांक 10-6-2006 को उर्वरक व्यय दर्शित कर धनराशि रू0 1750.00 का अनियमित भुगतान किया गया ।

बच्ची नगर किसान सेवा सहकारी समिति लि0 नैनीताल:-

(वर्ष 2006-07)

व्यपहरण:-

1- रसीद संख्या 3286/13 द्वारा वसूली रू0 560.00 रू0 आय पक्ष 300.00 रू0 ही दर्ज कर रू0 260.00 व्यपहरण किया गया ।

मालधन चौड किसान सेवा सहकारी समिति लि0 नैनीताल:-

(वर्ष 2006-07)

अधिक/अनियमित भुगतान:-

1- यात्रा भत्तों पर रू0 3388.00 का अनियमित भुगतान किया गया।

बैलपडाव किसान सेवा सहकारी समिति लि0 नैनीताल:-

(वर्ष 2005-06 से 2006-07)

विविध अनियमिततायें:-

2- भूमि पर रू0 10700.00 ह्रास काटा गया है जो अनियमित है।

ज्योलीकोट किसान सेवा सहकारी समिति लि0 नैनीताल।

(वर्ष 2005-06 से 2006-07)

व्यपहरण:-

1- स्टेशनरी क्रय दर्शित कर रू0 1720.00 व्यपहरण किया गया ।

अधिक/अनियमित भुगतान:-

2- सक्षम अधिकारी की स्वीकृति बिना ही सदस्यों को ऋण वितरण समारोह में सम्मिलित होने का टैक्सी भाडा रू0 1700.00 अनियमित भुगतान किया गया था।

3- समिति क्षेत्रान्तर्गत भ्रमण पर रू0 7676.00 का अनियमित भुगतान किया गया।

साधन सहकारी समिति लालूडी विकास खण्ड थौलधार जनपद टिहरी गढवाल

(वर्ष 2003-04)

व्यपहरण:-

1- सचिव द्वारा बैंक से आहरित राशि रू0 36000.00 को कैश बुक में दर्शित न कर धन का अपहरण किया गया।

2- सचिव द्वारा बिना प्रमाणकों के भुगतान दर्शित कर धन रू0 3820.00 का अपहरण किया गया।

3- सचिव द्वारा भवन मरम्मत पर बिना प्रमाणक के रू0 32250.00 का भुगतान दर्शित कर व्यपहरण किया गया।

विविध अनियमितताऐं:-

4- सचिव द्वारा आहरित राशि रू0 2940.00 का ब्याज जमा न किया जाना अनियमित था।

5- बिना प्रशासकीय स्वीकृति एवं प्रस्ताव के जलपान व्यय पर दर्शित रू0 1450.00 का भुगतान अनियमित था।

साधन सहकारी समिति सिलारी विकास खण्ड प्रतापनगर जनपद टिहरी गढवाल (वर्ष 2004-05)

व्यपहरण:-

1- सचिव द्वारा सदस्यों से हिस्सा धनराशि रू0 8450.00 का वसूली खातें में वसूली दर्शित है परन्तु कैश बुक में प्रविष्टि न कर धनराशि का अपहरण किया गया।

2- सचिव द्वारा समिति नगद कोष रू0 800.00 का अपहरण किया गया।

साधन सहकारी समिति मैगाधार विकास खण्ड भिलंगना जनपद टिहरी गढवाल (वर्ष 2002-03 से 2003-04)

व्यपहरण:-

1- सचिव द्वारा रसीदों से प्राप्त आय को कोषांकित न कर धनराशि रू0 51110.00 का अपहरण किया गया।

2- सचिव द्वारा रसीद बुक गायब कर धन रू0 6742.00 का अपहरण किया गया।

3- सचिव द्वारा सदस्य खातों में दर्शित ऋण वसूली कोषांकित न कर धनराशि रू0 2430.00 का अपहरण किया गया।

4- सचिव द्वारा सदस्यों से हिस्सा धन वसूल कर खाते में वसूली दर्शित कोषांकित न कर धनराशि रू0 980.00 का अपहरण किया गया।

5- सचिव द्वारा के दीगर भुगतान दिखाकर धन रू0 7850.00 का अपहरण किया गया।

6- सचिव द्वारा बिना व्यय प्रमाणक के रू0 10485.00 का भुगतान दिखाकर धन का अपहरण किया गया।

7- सचिव द्वारा एक ही प्रमाणक का दो बार भुगतान दर्शित कर धनराशि रू0 1694.00 का अपहरण किया गया।

8- सचिव द्वारा खाद बिक्री/स्टाक रू0 8771.00 का अपहरण किया गया।

9- सचिव द्वारा भौतिक सत्यापन में कम पाये गये धनराशि रू0 23273.00 का अपहरण किया गया।

10- भूतपूर्व सचिव द्वारा कैश बुक में शेष दर्शित धनराशि रू0 45156.00 को चार्ज में न देकर इस धनराशि का व्यपहरण किया गया।

11- सचिव द्वारा सदस्य के बचत खाते से धनराशि रू0 13000.00 का व्यपहरण किया गया।

12- तत्कालीन सचिव द्वारा सेवानिवृत्ति के समय शेष धनराशि चार्ज में न देकर धनराशि रू0 2000.00 का अपहरण किया गया।

विविध अनियमिततायें:-

13- सचिव द्वारा स्वयं के ऋण खातों में रू0 6150.00 ऋण व ब्याज की दर्शायी गयी। जबकि कोई धनराशि जमा नहीं की गयी थी।

काण्डोई भरम दीर्घाकार बहुउद्देशीय सहकारी समिति लि0 जनपद देहरादून

(वर्ष 2005-06)

अधिक/अनियमित भुगतान:-

1- गौशाला को कार्यालय दर्शाकर, किराया रू0 9000.00 का भुगतान अनियमित था।

भाग (अ) प्रस्तर-1

2- समिति में रू0 14767.00 के यात्रा भत्ता देयको का भुगतान अनियमित था।

भाग (अ) प्रस्तर-3

3- स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत लाभार्थियों को ऋण वितरण व तत्काल इस ऋण की वसूली करके इस प्लान पर प्राप्त अनुदान रू0 340000.00 का उपयोग अनियमित था।

भाग (अ) प्रस्तर-2

साधन सह0 समिति लि0 घाट जनपद चमोली

(वर्ष 2003-04 से 2004-05)

व्यपहरण:-

1- दिनांक 31-3-2004 को बैक परामर्श पत्र अनुसार बैक द्वारा समिति का उर्वरक श्रृण खाता रू0 13500.00 से जमा (क्रेडिट) किया गया। जबकि समिति कैश बुक में इसका हस्तान्तरित लेखा न करते हुये व्यय पक्ष में रू0 13500.00 से बैक जमा दर्शित कर धनराशि का अपहरण किया गया।

2- दिनांक 31-3-2004 को बैक परामर्श पत्र अनुसार रू0 30000.00 से समिति अल्प0 श्रृण खाता जमा (क्रेडिट) करना दर्शित है। जबकि समिति में हस्तान्तरित लेखा न करते हुये कैश बुक व्यय पक्ष में अल्प0 श्रृण खाते में जमा रू0 30,000.00 दर्शित कर धन का व्यपहरण किया गया है।

साधन सह0 समिति लि0 एकेश्वर जनपद पौडी गढवाल

(वर्ष 1987-88 से 2005-06)

व्यपहरण:-

1- रसीदो से प्राप्त धनराशियों कुल रू0 11025.00 का लेखा कैश बुक आय पक्ष में दर्शित न कर धन का अपहरण किया गया।

2- हस्तान्तरण लेखांकन (ट्राँस्फर लेखा) हेतु समिति कैश बुक के दोनों पक्षों में लेखा न करते हुये केवल व्यय पक्ष में लेखांकन कर रोकड शेष कम दर्शित करते हुये कुल रू0 20056.00 का अपहरण किया गया।

3- विभिन्न तिथियों में समिति कैश बुक में रोकड शेष कम दर्शित कर कुल रू0 29880.00 का अपहरण किया गया।

4- दिनांक 30-11-2007 को कैश बुक आय पक्ष का योग रू0 130.00 से कम दर्शित कर रोकड शेष रू0 130.00 से कम दर्शित कर धन का अपहरण किया गया।

5- दिनांक 28-7-1989 को कैश बुक अनुसार बैक जमा रू0 250.00 दर्शित है। जबकि संलग्न बैक जमा पर्ची अनुसार जमा राशि रू0 200.00 दर्शित रही है। इस प्रकार कैश बुक में जमा राशि रू0 50.00 अधिक दर्शित कर व्यपहरण किया गया।

साधन सह0 समिति लि0 खलेऊ (बौसांल) जनपद पौडी गढवाल

(वर्ष 1987-88 से 2004-05)

व्यपहरण:-

1- हस्तान्तरण लेखांकन (ट्रास्फर लेखा) हेतु समिति कैश बुक के दोनों पक्षों में लेखा न करते हुये केवल व्यय पक्ष में लेखांकन कर रोकड शेष कम दर्शित करते हुये कुल रू0 9614.00 का व्यपहरण किया गया।

2- विभिन्न तिथियों में समिति कैश बुक में रोकड शेष कम दर्शित करते हुये कुल रू0 17007.70 का अपहरण किया गया।

3- समिति कैश बुक अनुसार समिति सचिव द्वारा विभिन्न तिथियों में सचिव को अग्रिम धनराशियों का भुगतान दर्शित है। जिसकी कोई स्वीकृति व भुगतान प्रमाणक नहीं रहा हैं। उक्त धनराशियों की वसूली की नहीं की गयी है। इस प्रकार कुल रू0 16100.00 का व्यपहरण किया गया है।

4- दिनांक 31-2-1996 को ट्रास्फर लेखा द्वारा पर्ची प्रेम सिंह पुत्र त्रिलोक सिंह से रू0 300.00 की श्रृण वसूली व बैक जमा किया गया। जबकि कैश बुक व्यय पक्ष में रू0 1300.00 बैक जमा दर्शित किया गया है। इस प्रकार कैश बुक में रू0 1000.00 से बैक जमा अधिक दर्शित कर धन का व्यपहरण किया गया।

साधन सह0 समिति लि0 सीमी जनपद पौडी गढवाल

(वर्ष 1984-85 से 2004-05)

व्यपहरण:-

1- हस्तान्तरण लेखांकन (ट्राँस्फर लेखा) हेतु समिति कैश बुक के दोनों पक्षों में लेखा न करते हुये केवल व्यय पक्ष में लेखांकन कर रोकड शेष कम दर्शित करते हुये कुल रू0 3300.00 का अपहरण किया गया।

2- विभिन्न तिथियों में समिति कैश बुक में रोकड शेष कम दर्शित कर कुल रू0 13533.85 का व्यपहरण किया गया।

साधन सह0 समिति लि0 पैठाणी जनपद पौडी गढवाल

(वर्ष 1997-98 से 2003-04)

व्यपहरण:-

1- कैश रसीद संख्या 936/21 दिनांक 23-12-2001 श्री राम प्रसाद से रू0 6720.00 की वसूली दर्शित है जिसका लेखा कैश बुक आय पक्ष में न कर धन का व्यपहरण किया गया।

2- तत्कालीन समिति सचिव द्वारा अवशेष रोकड शेष की धनराशि चार्ज में न देकर कुल रू0 22566.02 का व्यपहरण किया गया।

3- बैक परामर्श पत्र द्वारा जमा धनराशि का केवल व्यय पक्ष में ही लेखांकन कर रू0 6921.00 का व्यपहरण किया गया।

अंगणीसैण साधन सह0 समिति लि0 जनपद पौडी गढवाल
(वर्ष 1986-87 से 2003-04)

व्यपहरण:-

1- कैश रसीद सं0 368/09 दिनांक 29-6-2003 द्वारा रू0 500.00 की वसूली दर्शित है जबकि कैश बुक रू0 450.00 की ही प्रविष्टि अंकित है। रू0 50.00 से धन का व्यपहरण किया गया।

2- बैक परामर्श पत्र द्वारा रू0 3400.00 बैक में जमा दर्शित है। जबकि कैश बुक में हस्तान्तरित लेखा न करते हुये केवल व्यय पक्ष में बैक जमा दर्शित कर रोकड शेष रू0 3400.00 से कम दर्शित कर धन का व्यपहरण किया गया।

3- समिति में अप्रयुक्त कैश रसीद बुक सं0 1056 की रसीद सं0 0048/दिनांक 1-6- की छाया प्रति के आधार पर श्री दलबीर सिंह पुत्र गोविन्द सिंह (10/05) के खाते में दिनांक 12-1-2004 को कुल रू0 4300.00 की वसूली दर्शित है। जबकि उक्त रसीद बुक से कोई रसीद निर्गत ही नहीं रही है। इस प्रकार रू0 4300.00 का व्यपहरण किया गया है।

4- समिति की कैश बुक पृष्ठ सं0 96 वर्ष (91-92) में व्यय प्रमाणक स0 47 दिनांक 11-1-1992 द्वारा बैक जमा नकद हेतु रू0 6270.00 का लेखा कैश बुक में अंकित है। जबकि जमा की पुष्टि में बै जमा पर्ची (प्रमाणक) तथा बैक पास बुक उपलब्ध नहीं थी।

विविध अनियमिततायें:-

5- कैश बुक अनुसार पृष्ट सं0 74 पर माह नवम्बर, 1990 हेतु प्रमाणक सं0 8 व 9 के द्वारा फोटो स्टेट व्यय पर कुल रू0 1600.00 का व्यय अनियमित था।

6- कैश बुक अनुसार पृष्ठ सं0 30 पर माह अप्रैल 1995 हेतु प्रमाणक सं0 10 द्वारा सचिव को स्वास्थ्य लाभ हेतु रू0 12000.00 का अग्रिम दिया जाना अनियमित था।

चम्पावत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 चम्पावत।

(वर्ष 2005-06)

व्यपहरण:-

1- दिनांक 12-09-2005 को दुग्धशाला की डेबुक में 400 ली0 दूध कम दर्शाकर दूध स्टाक मूल्य रू0 3790.00 का व्यपहरण किया गया।

2- चालान सं0 3379 दिनांक 17-08-2005 द्वारा दुग्ध एजेंट को 70 ली0 दुग्ध के स्थान पर बिक्री रजिस्टर में 10 ली0 दर्शाकर 60 ली0 दुग्ध स्टाक मूल्य रू0 750.00 का व्यपहरण किया गया।

आर्थिक क्षति:-

3- दुग्ध शाला चम्पावत द्वारा पिथौरागढ एवं खटीमा को फैट एवं एस0एन0एफ0 की कम आपूर्ति करवाकर निर्गत चालानों में अधिक की आपूर्ति दर्शाते से संस्था को अंकन रू0 75124.10 की आर्थिक क्षति हुई थी।

4- वर्ष 2005-06 में निर्धारित मानक से 9.700 कि0ग्रा0 घी का कम उत्पादन से रू0 931.20 की आर्थिक क्षति हुई थी।

दुग्ध उत्पादक सह0 संघ लि0 लाल कुँआ:-

(वर्ष 2005-06)

अधिक/अनियमित भुगतान

1- संघ द्वारा यू0डी0सी0एफ0 के अधिकारियों को उनकी सेवा निवृत्ति से कुछ अवधि पूर्व उनके आवेदन पर रू0 25000.00 अग्रिम दिया गया।

विविध अनियमिततायें:-

2- संघ द्वारा रू0 66.97 लाख मूल्य की मशीनों/उपकरणों का उपयोग नहीं किया जा रहा था। उपयोग नहीं होने से इनके क्रय/निर्माण पर व्यय रू0 66.97 लाख का दुर्विनियोग हुआ था।

3- विभिन्न दुग्ध संघों से रू0 42.44 लाख पावना शेष है। वसूली हेतु विधिक कार्यवाही नहीं की गई है।

लछम पुर डेरी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि0:-

(वर्ष 2006-07)

विविध अनियमिततायें:-

1- भवन कोष हेतु प्राप्त रू0 100000.00 एवं लाभ में से रू0 25345.00 भवन निर्माण पर व्यय के प्रमाणक उपलब्ध नहीं थे।

कसियालेख दुग्ध उत्पादक सह0समिति लि0:-

(वर्ष 2005-06 से 2006-07)

विविध अनियमिततायें:-

2- दिनांक 16-11-2005 सचिव अग्रिम रू0 25000.00 का प्रयोजन व प्रमाण पत्र नहीं रखा गया है।

ज्वाला पोखरी दुग्ध उत्पादक सह0समिति लि0:-

(वर्ष 2005-06 से 2006-07)

विविध अनियमिततायें:-

1- सचिव को दिए गये अग्रिम रू0 5241.44 की वसूली नहीं की गई थी।

सोयाबीन एवं वनस्पति उद्योग हल्दूचौड हल्द्वानी

(वर्ष 2004-05 से 2006-07)

विविध अनियमिततायें:-

1- इनवैन्ट्रीज शीर्ष में 31-12-2004 को पी0सी0एफ0 एवं दिनांक 1-1-2005 को यू0सी0एफ0 के मध्य रू0 274520.90 का अन्तर था।

<u>विशिष्ट समितियाँ</u>

एम0बी0इन्टर कालेज वेतन भोगी सहकारी समिति हल्द्वानी नैनीताल।

(वर्ष 2006-07)

विविध अनियमिततायें:-

1- समिति में रू0 21805.00 लाभ वितरित किया गया परन्तु नियमानुसार कोषों का सृजन नहीं करने से सहकारी समिति अधिनियम की धारा-58 का उल्लंघन हुआ था।

पंचायत अनुभाग

ग्राम पंचायत दारसौ जनपद उत्तरकाशी

(वर्ष 2005-06)

व्यपहरण:-

1- छात्रों को छात्र वृत्रि बिना प्राप्ति रसीद के कैश बुक से खारिज कर रू0 12750.00 का व्यपहरण किया था।

अधिक/अनियमित भुगतान:-

2- पेयजल योजना हेतु बिना प्रस्ताव एवं नियमित क्रय प्रकिया के पाईप क्रय पर भुगतान रू0 84660.00 अनियमित रहा था।

ग्राम पंचायत पाली जनपद उत्तरकाशी

(वर्ष 2005-06)

व्यपहरण:-

1- प्रशासकीय कार्यकाल दिनांक 10-01-2003 की बैक वित्त खाते से रू0 15000.00 आहरण कर कोष वही में कोषांकित न कर व्यपहरण किया गया।

ग्राम पंचायत कुवां जनपद उत्तरकाशी

(वर्ष 2005-06)

व्यपहरण:-

1- सहायक अभियन्ता (लघु सिचाई) से कैश रसीद सं0 2529/16 द्वारा प्राप्त राशि रू0 234000.00 को ग्रा0 पं0 खाते में जमा न कर धनराशि का व्यपहरण किया गया।

2- छात्रों को छात्र वृत्ति वितरण न कर रू0 2110.00 का व्यपहरण किया गया।

ग्राम पंचायत पौठी जनपद उत्तरकाशी

(वर्ष 2005-06)

विविध अनियमिततायें:-

1- एस0जी0आर0वाई0 के अन्तर्गत श्रमिकों को खाद्यान्न निर्धारित मात्रा से अधिक रू0 37960.00 मूल्य का वितरण किया गया।

2- लघु सिंचाई विभाग से बिना समायोजन के किश्त का भुगतान रू0 43334.00 का अनियमित था।

ग्राम पंचायत गडोली जनपद उत्तरकाशी

(वर्ष 2005-06)

विविध अनियमिततायें:-

1- बैक से योजना निर्माण कार्य हेतु रू0 743000.00 आहरण कर रू0 523695.00 की सामग्री क्रय तथा 283380.00 रोकड के रूप में रोक कर ग्राम पंचायत धन का दुरूपयोग किया गया ।

ग्राम पंचायत नौगांव गोडर जनपद उत्तरकाशी

(वर्ष 2005-06)

विविध अनियमिततायें:-

1- लघु सिचाई विभाग से प्राप्त से राशि रू0 41667.00 का जल उपभोक्ता समूह को बिना समायोजन के द्वितीय किश्त भुगतान किया जाना अनियमित था।

ग्राम पंचायत भेटियारा जनपद उत्तरकाशी

(वर्ष 2004-05 से 2005-06)

व्यपहरण:-

1- कोषबही में दर्शित व्ययों रू0 25088.00 की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं थे। अत: उक्त धनराशि का व्यपहरण था।

2- कोषबही में पर दर्शित व्ययों रू0 20797.00 की पुष्टि में आवश्यक व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं थे।

विविध अनियमिततायें:-

3- रू0 4600.00 के भुगतान की प्राप्ति में भुगतान रसीद पर प्राप्त कर्ता के हस्ताक्षर न थे।

4- योजनाओं के मस्टरोल पर भुगतान रू0 11194.00 की पुष्टि में श्रमिकों के हस्ताक्षर नहीं थे।

5- एक ही तिथि में श्रमिकों को दो अलग-2 योजनाओं में कार्यरत दर्शित कर रू0 2784.00 का भुगतान किया जाना अनियमित था।

6- कैश बुक पर धनराशि रू0 17400.00 पर अपर लेखन किया गया तथा मस्टरोल पर माह व वर्ष अंकित नहीं थे।

ग्राम पंचायत जसपुर जनपद उत्तरकाशी

(वर्ष 2005-06)

व्यपहरण:-

1- बैंक से आहरित धनराशि रू0 5000.00 का कैश बुक आय पक्ष में लेखा न कर धन का व्यपहरण किया गया।

2- रसीद से प्राप्त दर्शित राशि रू0 1000.00 को कोषबही में कोषांकित न कर धन का व्यपहरण किया गया।

3- कोषबही में आय व्यय पक्ष के योग त्रुटि पूर्ण दर्शित कर वर्षान्त में रोकड शेष कम दर्शित कर धन रू0 98017.00 का व्यपहरण किया गया।

4- कोषबही में दर्शित व्ययों रू0 50132.00 की पुष्टि में व्यय प्रमाणक अप्राप्त थे।

विविध अनियमितताये:-

5- व्यय प्रमाणकों (मस्टरोल/रसीद/छात्रवृत्ति पंजिका) पर भुगतान रू0 8222.00 की पुष्टि में सम्बन्धित के हस्ताक्षर नहीं थे।

ग्राम पंचायत सिगूंडी जनपद उत्तरकाशी

(वर्ष 2005-06)

व्यपहरण:-

1- कोषबही में दर्शित व्ययों रू0 3412.00 की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं थे।

2- योजनाओं पर दर्शित व्ययों रू0 95834.00 की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/पत्रावली/ एम0बी0 लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं थे।

अधिक/अनियमित भुगतानः-

3- योजना मस्टरोल पर वर्ष अंकित न था तथा दिनांक 20-12 से 31-12 तक दर्शित मस्टरोल का दिनांक 16-12-2005 को ही रू0 3654.00 भुगतान अनियमित था।

4- योजनाओं के मस्टरोल पर एक ही तिथि में अलग-अलग योजनाओं पर कार्यरत श्रमिकों को भुगतान रू0 232.00 अनियमित रहा है।

ग्राम पंचायत- बदामावाला, विकास क्षेत्र- विकासनगर, जिला देहरादून।

(वर्ष 2003-04)

व्यपहरणः-

1- एस0बी0आई0 खाता संख्या 01170018688 से रू0 255780.00 आहरित धनराशि का कोषबही में लेखा न कर धन का व्यपहरण किया गया।

2- दिनांक 31-3-2003 का नकद रोकड शेष रू0 24767.50 का ग्रा0प0वि0अ0 द्वारा ग्राम प्रधान को हस्तान्तरण अथवा ग्राम पंचायत खाते में जमा नहीं किया था।

अधिक/अनियमित भुगतानः-

3- कोषबही में मिट्टी भरान का कार्य दर्शित कर रू0 25332.00 का अनियमित भुगतान किया। परन्तु मिट्टी भरान से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं थे।

ग्राम पंचायत- जामनखाता, विकास क्षेत्र- विकासनगर जिला देहरादून।

(वर्ष 2003-04)

व्यपहरणः-

1- पी0एन0बी0 खाता संख्या 17789 से रू0 45000.00 आहरित धनराशि का कोषबही में लेखा न कर धन का व्यपहरण किया गया था।

2- कोषबही में दर्शित व्यय रू0 5000.00 के प्रमाणक उपलब्ध नहीं थे।

ग्राम पंचायत- जीवनगढ, विकास क्षेत्र- विकासनगर, जिला देहरादून।

(वर्ष 2003-04)

व्यपहरण:-

1- रूपपत्र-7 में अंकित राशि का कोषबही के आय पक्ष में लेखांकन न कर रू0 12550.00 धनराशि का व्यपहरण किया गया था।

2- पैंठ निलामी से प्राप्त आय कोषबही में फर्जी बैंक जमा दर्शित कर रू0 5250.00 का धन का व्यपहरण किया गया था।

3- डी0सी0बी0 खाता संख्या 3199 से चेको द्वारा रू0 120000.00 आहरित धनराशि का कोषबही में लेखाकन न कर धन का व्यपहरण किया गया था।

ग्राम पंचायत सेवलांकला, विकास क्षेत्र-रायपुर जिला देहरादून।

(वर्ष 2000-01 से 2003-04)

व्यपहरण:-

1- ग्राम पंचायत सेवलांकलॉ के विभिन्न बैक खातों से रू0 699877.00 आहरित किया गया किन्तु लेखा परीक्षा में उक्त धनराशि के व्यय प्रमाणक, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व कोषबही आदि उपलब्ध नहीं थे।

ग्राम पंचायत तोली विकास खण्ड भिलंगना जनपद टिहरी गढवाल

(वर्ष 2002-03 से 2004-05)

व्यपहरण:-

1- बैक खाते से आहरित धनराशि रू0 16200.00 की कोषबही में प्रविष्टि न कर धन का व्यपहरण किया गया।

2- बैक खाते से आहरित धनराशि रू0 90800.00 का व्यय/उपभोग सम्बन्धी प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर धन का व्यपहरण किया गया।

3- सीमेंट ढुलान भाडा दिखाकर कोषबही से धनराशि रू0 1900.00 का घटाकर व्यपहरण किया गया।

विविध अनियमिततायें:-

4- वर्ष 2003-04 व 2004-05 में योजनाओं के कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना धनराशि रू0 423220.00 की अनियमितता की गयी।

ग्राम पंचायत सौला विकास खण्ड भिलगना जनपद टिहरी गढवाल

(वर्ष 2001-02 से 2004-05)

व्यपहरण:-

1- बैक खाते से आहरित धनराशि रू0 36914.00 का व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर धन को व्यपहरण किया गया।

ग्राम पंचायत कुण्डी विकास खण्ड भिंलगना जनपद टिहरी गढवाल

(वर्ष 2002-03 से 2004-05)

व्यपहरण:-

1- बैंक खाते से आहरित धनराशि रू0 110900.00 का व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं थे।

अधिक/अनियमित भुगतान:-

2- छात्रवृत्ति राशि रू0 34800.00 के भुगतान की पुष्टि में मूल प्रमाणक उपलब्ध नहीं थे। प्रधानाध्यापक से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर व्यय दर्शित किया गया था।

ग्राम पंचायत सारकेणा विकास खण्ड कीर्तिनगर जनपद टिहरी गढवाल

(वर्ष 2003-04 से 2004-05)

व्यपहरण:-

1- बैंक खाते से आहरित धनराशि रू0 10000.00 की कोषबही में प्रविष्टि न कर धन का व्यपहरण किया गया।

ग्राम पंचायत गिवाली विकास खण्ड भिलंगना जनपद टिहरी गढवाल

(वर्ष 2002-03 से 2004-05)

व्यपहरण:-

1- योजना पर व्यय रू0 54000.00 से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं थे।

ग्राम पंचायत कफलना विकास खण्ड कीर्तिनगर जनपद टिहरी गढवाल

(वर्ष 2003-04 से 2004-05)

व्यपहरण:-

1- छात्रवृत्ति राशि रू0 14700.00 के वितरण से सम्बन्धित प्रमाणक/पंजिका उपलब्ध नहीं थे।

2- धनराशि रू0 5470.00 के भुगतान का प्रमाणक उपलब्ध नहीं था।

ग्राम पंचायज कस्तल विकास खण्ड थौलधार जनपद टिहरी गढवाल

(वर्ष 2002-03 से 2004-05)

अधिक/अनियमित भुगतान :-

1- माप पुस्तिका अनुसार दर्शित राशि से अधिक भुगतान कर धन रू0 6447.00 का दुरूपयोग किया गया।

ग्राम पंचायत भेटी विकास खण्ड भिलंगना जनपद टिहरी गढवाल

(वर्ष 2002-03 से 2004-05)

व्यपहरण:-

1- वर्ष 2002-03 से 2004-05 के प्रशासक काल में बैंक पास बुकों से आहरित राशि के समक्ष भुगतान के समर्थन में व्यय प्रमाणक मस्टरोल, योजना पत्रावली उपलब्ध नहीं थे। धन रू0 274100.00 का व्यपहरण किया गया था।

2- छात्रवृत्ति वितरण की प्रमाणित रसीद/वितरण सूची उपलब्ध नहीं थी। रू0 18555.00 का व्यपहरण किया गया।

ग्राम पंचायत विकोल विकास खण्ड थौलधार जनपद टिहरी गढवाल

(वर्ष 2005-06)

व्यपहरण:-

1- कोषबही में व्यय पक्ष का योग अधिक दर्शित कर धनराशि रू0 73.00 का व्यपहरण किया गया।

2- बैंक खाते से आहरित धनराशि रू0 5000.00 की कोषबही में प्रविष्टि न कर धन का व्यपहरण किया गया।

ग्राम पंचायत डांगसेरा विकास खण्ड भिंलगना जनपद टिहरी गढवाल

(वर्ष 2005-06)

व्यपहरण:-

1- कोषबही में आय पक्ष का योग वास्तविक से कम दर्शित कर धनराशि रू0 7082.00 का व्यपहरण किया गया।

ग्राम पंचायत होल्टा विकास खण्ड भिलंगना जनपद टिहरी गढवाल

(वर्ष 2005-06)

व्यपहरण:-

1- भुगतान के समर्थन में प्रमाणक प्रस्तुत न करने से धनराशि रू0 37732.00 का व्यपहरण किया गया।

2- फर्जी मस्टरोल के आधार पर भुगतान कर धनराशि रू0 11020.00 का अपहरण किया गया।

विविध अनियमिततायें:-

3- सामग्री क्रय पर व्यय धन रू0 111112.00 अनियमित था।

ग्राम पंचायत वज्यूला जनपद बागेश्वर

(वर्ष 2005-06)

व्यपहरण:-

1- दिनांक 1-7-2005 को गत रोकड शेष रू0 287.00 को अग्रसारित न कर रोकड का व्यपहरण किया गया।

2- विभिन्न तिथियों में खाता संख्या 1064 से रू0 23000.00 आहरण किया गया जिसे कोषबही में दर्ज न कर धनराशि का व्यपहरण किया गया।

3- प्रमाणक स0 14 सिचाई हौज निर्माण हेतु मजदूरी भुगतान योग त्रुटिपूर्ण करके रू0 464.00 का व्यपहरण किया गया।

अधिक/अनियमित भुगतान:-

4- प्रमाणक संख्या 10 धारा निर्माण हेतु मजदूरी भुगतान रू0 19952.00 दिनांक 3-5-2005 को कोषबही से खारिज किया। प्रमाणक में श्रमिकों की उपस्थिति दिनांक 1-5-2005 तक दर्शित थी। अंत: दिनांक 4-5-2005 से 23-5-2005 तक किये गये भुगतान रू0 17342.00 अनियमित था।

5- प्रमाणक संख्या 12 से कालीग्वाड नौला निर्माण हेतु मजदूरी भुगतान रू0 16994.00 दिनांक 10-5-2005 को कोषबही से खारिज था श्रमिकों की उपस्थिति 1-5-2005 से 20-5-2005 तक दर्शित थी। अंत: दिनांक 11-5-2005 से 20-5-2005 तक किये गये भुगतान रू0 8294.00 अनियमित था।

परिशिष्ट 'क'

(भाग-(1)-(आख्या प्रस्तर 3,1 में सन्दर्भित)

क्र0 सं0	संस्था की श्रेणी	संस्थाओं की संख्या
1	उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक लि0 हल्द्वानी नैनीताल	01
2	उत्तरांचल कोआपरेटिव फैडरेशन लि0 प्रेमनगर, देहरादून	01
3	उत्तरांचल राज्य सहकारी विपणन संघ लि0	01
4	जिला सहकारी बैंक लि0	10
5	अरबन कोआपरेटिव बैंक लि0	08
6	जिला सहकारी विकास संघ लि0	10
7	जिला भेषज विकास संघ लि0	12
8	थोक/केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार लि0	06
9	क्रय विक्रय सहकारी समितियां	31
10	सहकारी विकास/ब्लाक संघ लि0	21
11	सहकारी बीज/पूर्ति भण्डार	10
12	किसान सेवा/लैम्पस/मध्याकार/साधन सहकारी समितियां	753
13	कृषि सहकारी समितियां	04
14	सहकारी उपभोक्ता भण्डार	36
15	श्रम सविंदा/वेतन भोगी/विशिष्ट सहकारी समितियां	390
16	जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि0	12
17	सहकारी दुग्ध समितियां	1007
18	सहकारी चीनी मिले	04
19	सहकारी गन्ना समितियां	12
20	सहकारी आवास संघ/समितियां	60
21	बुनकर/खादी/रेशम/उद्योग सहकारी समितियां	149
22	सहकारी मत्स्य समितियां	5
23	जिला पंचायतें	13
24	वैयक्तिक लेखा (पी0 एल0 ए0)	21
25	क्षेत्र पंचायत	95
26	पंचायत उद्योग	43
27	ग्राम पंचायतें	7219
	योग-	**9934**

परिशिष्ट 'ख'

(आख्या प्रस्तर -3-2- में सन्दर्भित)

सम्परीक्षाधीन संस्थाएं एवं उन पर लागू सम्बन्धित अधिनियम:-

1-जिला सहकारी बैंक:-

(1) बैकिंग रेग्यूलेशन एक्ट 1949
(2) उत्तरंचल सहकारिता अधिनियत 2003 एवं नियमावली 2004
(3) शासन/भारतीय रिजर्व बैंक/नावर्ड/निबन्धक सहकारी समितियां द्वारा जारी परिपत्र/आदेश/शासनादेश
(4) सम्बन्धित संस्था की सेवा नियमावली
(5) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया एक्ट 1934
(6) पेमेन्ट आफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972
(7) पेमेन्ट आफ बोनस एक्ट 1965
(8) निगोशियेवल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट 1881

2- सहकारी संस्थायें:-

(1) उत्तरांचल सहकारिता अधिनियम 2002/नियमावली 2004
(2) शासन/निबन्धक सहकारी समितियां द्वारा जारी परिपत्र/आदेश/शासनादेश
(3) सम्बन्धित संस्था की उपविधियां एवं सेवा नियमावली
(4) आयकर अधिनियम 1987/नियमावली
(5) सी0 पी0 एफ0 रूल्स

3- दुग्ध/उद्योग संस्थायें:-

(1) उत्तरांचल सहकारिता अधिनियम 2003/नियमावली 2004
(2) शासन/दुग्ध आयुक्त/उद्योग निदेशक द्वारा जारी परिपत्र/आदेश/शासनादेश
(3) सम्बन्धित संस्था की उपविधियां एवं सेवा नियमावली
(4) उ0 प्र0 दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम
(5) बिक्रीकर अधिनियम 1948/नियमावली
(6) सैन्ट्ल लेवर एक्ट 1970
(7) कारखाना अधिनियम 1948
(8) वर्क्स कम्पन्सेशन एक्ट
(9) दि पेमेन्ट आफ बोनस एक्ट 1936

4- गन्ना समितियां:-

(1) उ0 प्र0 गन्ना पूर्ति एवं खरीद अधिनियम

(2) शासन/केन कमिश्नर द्वारा जारी परिपत्र/आदेश/शासनादेश

(3) उत्तरांचल सहकारिता अधिनियम 2003 एवं नियमावली 2004

5- मत्स्य समितियां:-

(1) उत्तरांचल सहकारिता अधिनियम 2003 एवं नियमावली 2004

(2) शासन/निदेशक फिशरीज द्वारा जारी परिपत्र/आदेश/शासनादेश

6- पंचायत संस्थायें:-

(1) उ0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947/नियमावली/उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपारान्तरण आदेश 2005

(2) शासन/निदेशक पंचायती राज द्वारा जारी परिपत्र/आदेश/शासनादेश

(3) जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत अधिनियम/नियमावली

(4) उ0 प्र0 भूमि प्रबन्धन समिति नियम संग्रह

वित्तीय नियमावलियां:-

1-	वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-दो,तीन,पांच व छः	सामान्य रूप में संस्थाओ पर लागू
2-	बजट मैनूअल	सामान्य रूप में संस्थाओ पर लागू
3-	समय-समय पर निर्गत शासकीय आदेश	सामान्य रूप में संस्थाओ पर लागू
4-	मैनूअल आफ गवर्नमैन्ट आर्डरस	सामान्य रूप में संस्थाओ पर लागू
5-	उपविधियां/सेवा नियमावलियां	सामान्य रूप में अधिकांश संस्थाओं पर लागू

परिशिष्ट 'ग'

(आख्या प्रस्तर -5-2- में सन्दर्भित)

आडिट 5471/दस-300(8)/74

प्रेषक,

श्री सुदर्शन लाल शाह कुमैया
उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी,
सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0 प्र0 लखनऊ
वित्त (लेखा परीक्षा अनुभाग)

लखनऊ, दिनांक सितम्बर, 17, 1977

विषयः- **सहकारी समितियों से वसूली किये जाने वाले लेखा परीक्षा शुल्क की दरो का पुनरीक्षण।**

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकारी समिति नियमावली 1968 के नियम 220 के अधीन अधिकारी का प्रयोग करके शासनादेश संख्या ए0एस0टी0-1953/दस-3000(8)/53 दिनांक 11 सितम्बर 1969 व उसी क्रम में जारी किये गये शासनादेश सं0 ए0एस0टी0-300/दस-3000(8)/53 दिनांक 16-4-70 का आशिंक संशोंधन करते हुए राज्यपाल महोदय, सरकारी समितियों द्वारा देय लेखा परीक्षा शुल्क की निम्नलिखित दरे और सीमायें और निर्धारित करते हैं:-

(1)- शीर्षस्थ समितियां जेसे यू0पी0 सहकारी संघ आदि एवं मिल्क बोर्ड कानपुर, मिल्क यूनियन लखनऊ, चीनी मिल, सूती मिल आदि ऐसी संस्थायें, जिनका वार्षिक व्यवसाय (टर्न ओवर) एक करोड रूपये से अधिक है, लेखा परीक्षा पर हुए कुल व्यय को वहन करेगी।

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी इन समितियों की लेखा परीक्षा पूर्ण होने पर लेखा परीक्षा पार्टी के उपर हुए व्यय को सम्बन्धित समितियों को संसूचित करेंगे।

(2)- प्रदेश की शेष समितियों पर लेखा परीक्षा शुल्क निम्नलिखित दरो से देय होगा:-

क्र0 सं0	सहकारी समितियों की प्रकृति	शुल्क अवधारणा का आधार	दर
क-	ऋण समितियां (रू0 का लेन देन करने वाली)	लेखा परीक्षा वर्ष की 30 जून की कार्यशील पूंजी पर	60 पैसे प्रति एक सौ रूपये
ख-	उत्पादन संग्रह, क्रय विक्रय एवं उघोग समितियां	लेखा परीक्षित वर्ष के विक्रय पर	30 पैसे प्रति एक सौ रूपये
ग-	समितियां जिनका प्रभाव उददेश्य परामर्श अथवा सेवा प्रदान करना है	लाभ हानि नक्शे के लाभ पक्ष में दर्शित सकल आय (सकल आय लाभ सहित) पर	सकल आय का 2 प्रतिशत

(3)- विभिन्न प्रकार की समितियों द्वारा देय शुल्क की अधिकतम सीमाओ की गणना निम्न प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी।

क्र0 सं0	सहकारी समितियां	अधिकतम सीमा	अधिकतम सीमाओं की गणना प्रक्रिया
1-	जिला/केन्द्रीय सहकारी बैंक		
क	50 लाख रू0 तक की कार्यशील पूंजी पर	10,000-00	
ख	50 लाख रू0 से अधिक एक करोड रू0 तक की कार्यशील पूंजी पर	20,000-00	
ग	एक करोड रू0 से अधिक कार्यशील पूंजी पर	50,000-00	
2-	नगर बैंग/प्राईमरी सहकारी बैंक	10,000-00	प्रत्येक एक लाख की कार्यशली पूंजी के लिए रू0 200-00
3-	प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियां एंव प्रस्तर 2(क) में उल्लिखित उन्य ऋण व्यवसाय वाली समितियां:-		
क	एक लाख रू0 की कार्यशील पूंजी पर	500-00	प्रत्येक एक लाख रू0 की कार्यशील पूंजी पर के लिए रू0 500-00
ख	एक लाख रू0 से अधिक दो लाख रू0 की कार्यशील पूंजी पर	1,000-00	
ग	दो लाख रू0 से अधिक चार लाख रू0 तक की कार्यशील पूंजी पर	2,000-00	
घ	चार लाख रू0 से अधिक की कार्यशील पूंजी पर	3,000-00	
4-	वेतन भोगी सहकारी समितियां	3,000-00	
5-	जिला सहकारी संघ	10,000-00	प्रत्येक 5 लाख रू0 की बिक्री के लिए रू0 1,000-00
6-	सहकारी दुग्ध संघ	5,000-00	
7-	प्रारम्भिक उपभोक्ता भण्डार	1,000-00	प्रत्येक एक लाख रू0 की बिक्री के लिए रू0 150-00
8-	केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार	2,000-00	
9-	नया बाजार	3,000-00	
10-	उघोग समितियां	2,500-00	प्रत्येक रू0 25,000-00 की बिक्री के लिए रू0 50-00
11-	प्रस्तर दो (ख) में आने वाली अन्य ऐसी समितियां जिन पर शुल्क की सीमा पृथक रूप से नहीं निर्धारित है अथवा जिनमें लेखा परीक्षा पर होने वाले व्यय का प्रावधान नहीं है।	2,000-00	प्रत्येक 5लाख रू0 की बिक्री के लिए 1,000-00 रू0
12-	गन्ना संघ एवं समितियां	20,000-00	प्रत्येक एक लाख रू0 की

			कार्यशील पूंजी के लिए रू0 500-00 एक लाख रू0 से कम कार्यशील पूंजी का वह भाग जो एक लाख रू0 अथवा उसके गुणक के अतिरिक्त होगा उस पर लेखा परीक्षा शुल्क सामान्य दर (60 पैसे प्रति 100-00 रू0) से अथवा रू0 500-00 जो भी कम हो लगाया जायेगा।

(2)- राज्यपाल महोदय यह भी आदेश देते हैं कि उ0 प्र0 सहकारी नियमावली 1968 के नियम 220 के अनुसार यह आदेश शासनादेश की तिथि से लागू होंगे।

भवदीय

सुदर्शन लाल शाह कुमैया,

उप सचिव।

आडिट संख्या 5471 (1)/दस-300 (8)/74

परिशिष्ट- 'घ'

(प्रस्तर 3 - 1 में सन्दर्भित)

सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा प्रभाग के लिए स्वीकृत जिला सम्परीक्षा कार्यालयों की सूची-

क्र0 सं0	जिले का नाम जहां जिला लेखा परीक्षा अधिकारी कार्यालय स्थापित है।
1-	उत्तरकाशी
2-	चमोली
3-	टिहरी (नरेन्द्रनगर)
4-	देहरादून
5-	पौडी गढवाल
6-	हरिद्वार
7-	रूद्रप्रयाग
8-	अल्मोडा
9-	पिथौरागढ
10-	नैनीताल
11-	उधमसिंह नगर
12-	बागेश्वर
13-	चम्पावत

परिशिष्ट- ''घ-1'' (प्रस्तर 3-1 में सन्दर्भित)

सम्वर्ती सम्परीक्षा कार्यालय:-

1-	उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि० हल्द्वानी, नैनीताल।	01
2-	उत्तराखण्ड रेशम कोआपरेटित फैडरेशन लि० प्रेमनगर, देहरादून।	01
3-	उत्तराखण्ड राज्य सहकारी विपणन संघ लि० देहरादून।	01
4-	किसा सहकारी चीनी मिल्स लि० बाजपुर, उधमसिंह नगर।	01
5-	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि० गदरपुर, उधमसिंह नगर।	01
6-	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि० नादेही, उधमसिंह नगर।	01
7-	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि० सितारंगज उधमसिंह नगर।	01
8-	जिला सहकारी बैंक लि० नैनीताल हल्द्वानी।	01
	योग	**08**

उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0 :-

क्र0 सं0	नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित भुगतान	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	विविध अनियमितता	योग
1	उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0	2006-07	0	6000.00	171975.00	0	18540003.00	18717978.00
	योग:-	-	0	6000.00	171975.00	0	18540003.00	18717978.00

जिला सहकारी बैंक लि0:-

क्र0 सं0	नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित भुगतान	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	विविध अनियमितता	योग
1	जिला सहकारी बैंक लि0, पिथौरागढ	2006-07	2125994.00	0	760000.00	0	371455.00	3257449.00
2	जिला सहकारी बैंक लि0 नैनीताल	2006-07	0	5091620.00	0	0	0	5091620.00
	योग:-	-	2125994.00	5091620.00	760000.00	0	371455.00	8349069.00

अरबन कोआपरेटिव बैंक

क्र0 सं0	नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित भुगतान	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	विविध अनियमितता	योग
1	दूनवैजी अरबन कोआपरेटिव बैंक लि0, देहरादून	2005-06	0	406250.00	0	0	0	406250.00
2	गढवाल कोआपरेटिव बैंक लि0 ऋषिकेश	2004-05	0	0	0	0	229724.00	229724.00
	योग:-	-	0	406250.00	0	0	229724.00	635974.00

जिला सह संघ एवं केन्द्रीय उप0 भण्डार लि0 :-

क्र0 सं0	नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित भुगतान	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	विविध अनियमितता	योग
1	जिला सह संघ लि0 देहरादून	2004-05 से 2005-06	405.00	30500.00	0	0	212724.31	243629.31
2	जिला केन्द्रीय उप0 भण्डार लि0 उत्तरकाशी	1987-88 से 2002-03	67932.48	0	101228.60	0	461105.32	630266.40
	योग:-	-	68337.48	30500.00	101228.60	0	673829.63	873895.71

किसान सेवा सहकारी/दीर्घाकार/मध्याकार/साधन सहकारी समितियां:-

क्र0 सं0	नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित भुगतान	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	विविध अनियमितता	योग
1	रवूर्पाताल सा0 सह0 स0 लि0 जनपद नैनीताल	2005-06	137212.65	0	0	0	0	137212.65
2	रातीघाट सा0 सह0 स0 लि0 जनपद नैनीताल	2005-06 एवं 2006-07	53643.00	0	0	0	38076.35	91719.35
3	ओखल ढूंगा सा0सह0स0लि0 जनपद नैनीताल	2005-06 से 2006-07	1500.00	0	0	0	0	1500.00
4	सूपी सा0सह0स0लि0 जनपद नैनीताल	2006-07	0	5400.00	0	0	0	5400.00
5	लाखनभण्डी कि0से0सह0स 0लि0 जनपद नैनीताल	2005-06 से 2006-07	3024.00	1750.00	0	0	0	4774.00
6	वच्चीनगर कि0से0सह0स0लि0 जनपद नैनीताल	2006-07	260.00	0	0	0	0	260.00
7	मालधन चौड कि0से0सह0 स0लि0 जनपद नैनीताल	2006-07	0	3388.00	0	0	0	3388.00
8	बैलपडाव कि0से0सह0स0लि0 जनपद नैनीताल	2005-06 से 2006-07	0	0	0	0	10700.00	10700.00
9	ज्योलीकोट कि0से0सह0स0 जनपद नैनीताल	2005-06 से 2006-07	1720.00	9376.00	0	0	0	11096.00
10	सा0सह0स0 लालूडी जनपद टिहरी गढवाल	2003-04	72070.00	0	0	0	4390.00	76460.00
11	सा0सह0स0 सलिारी जनपद टिहरी गढवाल	2004-05	9250.00	0	0	0	0	9250.00

12	सा0सह0स0 मैगाधार जनपद टिहरी गढवाल	2002-03 से 2003-04	173491.00	0	0	0	6150.00	179641.00
13	काण्डोई मरम दीर्धा0बहु0सह 0स0लि0 जनपद देहरादून	2005-06	0	363767.00	0	0	0	363767.00
14	साधन सह0 समिति घाट जनपद चमोली	2003-04 से 2004-05	43500.00	0	0	0	0	43500.00
15	साधन सह0 समिति लि0 एकेश्वर जनपद पौडी गढवाल	1987-88 से 2005-06	61141.00	0	0	0	0	61141.00
16	साधन सह0 समिति खलेऊ (बौसांल) जनपद पौडी गढवाल	1987-88 से 2004-05	43721.70	0	0	0	0	43721.70
17	साधन सह0 समिति सीमी जनपद पौडी गढवाल	1984-85 से 2004-05	16833.85	0	0	0	0	16833.85
18	साधन सह0 समिति लि0 पैठाणी जनपद पौडी गढवाल	1997-98 से 2003-04	36207.02	0	0	0	0	36207.02
19	अंजणीसैण साधन सह0 समिति लि0 जनपद पौडी	1986-87 से 2003-04	14020.00	0	0	0	13600.00	27620.00
-	**योग**	-	**667594.22**	**383681.00**	0	0	**72916.35**	**1124191.57**

दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ/समितियां:-

क्र0 सं0	नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित भुगतान	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	विविध अनियमितता	योग
1	दुग्ध उत्पादक सह0संघ लि0 चम्पावत	2005-06	4540.00	0	76055.30	0	0	80595.30
2	दुग्ध उत्पादक सह0संघ लि0 लालकुऑ	2005-06	0	25000.00	0	0	10941000.00	10966000.00
3	लक्षमपुर दुग्ध उत्पादक सह0समिति	2006-07	0	0	0	0	125345.00	125345.00
4	कसियालेख दुग्ध उत्पादक सह0समिति	2005-06 से 2006-07	0	0	0	0	25000.00	25000.00
5	ज्वाला पोखरी दुग्ध उत्पादक सह0 समिति	2005-06 से 2006-07	0	0	0	0	5241.44	5241.44
-	योग	-	4540.00	25000.00	76055.30	0	11096586.44	11202181.74

सोयाबीन एवं वनस्पति उद्योग हल्दूचौड हल्द्वानी

क्र0 सं0	नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/अनियमित भुगतान	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	विविध अनियमितता	योग
1	सोयाबीन एवं वनस्पति उद्योग हल्दूचौड हल्द्वानी	2004-05 से 2006-07	0	0	0	0	274520.90	274520.90
-	योग	-	0	0	0	0	274520.90	274520.90

विशिष्ट समितियॉ :-

क्र0 सं0	नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित भुगतान	आर्थिक क्षति/ राजस्व क्षति	दुरूपयोग/ दुर्विनियोग	विविध अनियमितता	योग
1	एम0बी0इन्टर कालेज वे0 भोगी सह0 समिति लि0	2006-07	0	0	0	0	21805.00	21805.00
	योग:-		0	0	0	0	21805.00	21805.00

ग्राम पंचायतें:-

क्र0 सं0	नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित भुगतान	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	विविध अनियमितता	योग
1	ग्राम पंचायत- दारसौ जनपद- उत्तरकाशी	2005-06	12750.00	84660.00	0	0	0	97410.00
2	ग्राम पंचायत- पाली जनपद- उत्तरकाशी	2005-06	15000.00	0	0	0	0	15000.00
3	ग्राम पंचायत- कुंवा जनपद- उत्तरकाशी	2005-06	236110.00	0	0	0	0	236110.00
4	ग्राम पंचायत- पौठी जनपद- उत्तरकाशी	2005-06	0	0	0	0	81294.00	81294.00
5	ग्राम पंचायत- गडोली जनपद- उत्तरकाशी	2004-05 व 2005-06	0	0	0	0	743000.00	743000.00

6	ग्राम पंचायत- नौगांव गोडर जनपद- उत्तरकाशी	2005-06	0	0	0	0	41667.00	41667.00
7	ग्राम पंचायत- भेटियारा जनपद- उत्तरकाशी	2004-05 व 2005-06	45885.00	0	0	0	35978.00	81863.00
8	ग्राम पंचायत- जसपुर जनपद- उत्तरकाशी	2005-06	154149.00	0	0	0	8222.00	162371.00
9	ग्राम पंचायत- सिंगूड़ी जनपद- उत्तरकाशी	2005-06	99246.00	3886.00	0	0	0	103132.00
10	ग्राम पंचायत- बदामावाला जनपद- देहरादून	2003-04	280547.50	25332.00	0	0	0	305879.50
11	ग्राम पंचायत- जामनखाता जनपद- देहरादून	2003-04	50000.00	0	0	0	0	50000.00
12	ग्राम पंचायत- जीवनगढ जनपद- देहरादून	2003-06	137800.00	0	0	0	0	137800.00
13	ग्राम पंचायत- सेवलाकला जनपद- देहरादून	2000-01 से 2001-02	699877.00	0	0	0	0	699877.00
14	ग्राम पंचायत- तोली जनपद- टिहरी गढवाल	2002-03 से 2003-04	108900.00	0	0	0	423220.00	532120.00
15	ग्राम पंचायत- सौला जनपद- टिहरी गढवाल	2001-02	36914.00	0	0	0	0	36914.00
16	ग्राम पंचायत- कुण्डी जनपद- टिहरी गढवाल	2002-03 से 2003-04	110900.00	34800.00	0	0	0	145700.00
17	ग्राम पंचायत- सारकेणा जनपद- टिहरी गढवाल	2003-04 से 2004-05	10000.00	0	0	0	0	10000.00
18	ग्राम पंचायत- गिवार्ला जनपद- टिहरी गढवाल	2002-03 से 2003-04	54000.00	0	0	0	0	54000.00

19	ग्राम पंचायत- कफलना जनपद- टिहरी गढवाल	2003-04 से 2004-05	20170.00	0	0	0	0	20170.00
20	ग्राम पंचायत- कस्तल जनपद- टिहरी गढवाल	2005-06	0	6447.00	0	0	0	6447.00
21	ग्राम पंचायत- भेटी जनपद- टिहरी गढवाल	2002-03 से 2004-05	292655.00	0	0	0	0	292655.00
22	ग्राम पंचायत- विकोल जनपद- टिहरी गढवाल	2005-06	5073.00	0	0	0	0	5073.00
23	ग्राम पंचायत- डांगसेरा जनपद- टिहरी गढवाल	2005-06	7082.00	0	0	0	0	7082.00
24	ग्राम पंचायत- होल्टा जनपद- टिहरी गढवाल	2005-06	48752.00	0	0	0	111112.00	159864.00
25	ग्राम पंचायत- बज्यूल जनपद- बागेश्वर	2005-06	23751.00	25636.00	0	0		49387.00
-	योग:-	-	2449561.50	180761.00	0	0	1444493.00	4074815.50

संकलन:-

सहकारी एवं पंचायत संस्थाओं में वित्तीय अनियमितताओं सम्बंधी संकलित कुल धनराशि

वर्ष 2007-08 के वार्षिक प्रतिवेदन हेतु

क्र0 सं0	नाम	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित भुगतान	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	विविध अनियमितता	योग
1	उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0	0	6000.00	171975.00	0	18540003.00	18717978.00
2	जिला सहकारी बैंक लि0	2125994.00	5091620.00	760000.00	0	371455.00	8349069.00
3	अरबन कोआपरेटिव बैंक	0	406250.00	0	0	229724.00	635974.00
4	जिला सह संघ एवं केन्द्रीय उप0 भण्डार लि0	68337.48	30500.00	101228.60	0	673829.63	873895.71
5	किसान सेवा सहकारी / दीर्घाकार/मध्याकार/साधन सहकारी समितियां	667594.22	383681.00	0	0	72916.35	1124191.57
6	दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ / समितियां	4540.00	25000.00	76055.30	0	11096586.44	11202181.74
7	सोयाबीन एवं वनस्पति उद्योग हल्दूचौड हल्द्वानी	0	0	0	0	274520.90	274520.90
8	विशिष्ट समितियॉ	0	0	0	0	21805.00	21805.00
9	ग्राम पंचायतें	2449561.50	180761.00	0	0	1444493.00	4074815.50
-	योग	5316027.20	6123812.00	1109258.90	0	32725333.32	45274431.42

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 01 नि0को0वि0से0/432–01–10–2008–400 पुस्तकें (कम्प्यूटर/रीजियो)।